# मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

**चतुर्थ एवं पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016**

**याचिका क्रमांक 26/2009**

**उपस्थित :**

**डा. जे.एल. बोस, अध्यक्ष**

**के.के. गर्ग, सदस्य**

**सी. एस. शर्मा, सदस्य**

**विषयः**–मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अन्तर्गत आयोग में प्रस्तुत आवेदन पर आधारित पारेषण टैरिफ का वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अवधारण

**एमपीपीटीसीएल (याचिकाकर्ता) का प्रतिनिधित्व अन्यों के अलावा निम्न व्यक्तियों द्वारा किया गया –**

1. **श्री एस.के. नागेश, संयुक्त सचिव**
2. **श्री डी.पी. सक्सेना, टैरिफ परामर्शी**
3. **श्री विन्सेन्ट डिसूजा, कार्यपालन यन्त्री**
4. **श्री देबाशीश चक्रवर्ती, कार्यपालन यन्त्री**

## आदेश

*(आज दिनांक 11 जनवरी, 2010 को पारित किया गया)*

1. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे एतद् पश्चात् ''आयोग'' अथवा ''मप्रविनिआ'' कहा गया है) द्वारा याचिकाकर्ता, नामतः मप्र पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (जिसे एतद् पश्चात् ''एमपीपीटीसीएल'' अथवा ''पारेषण अनुज्ञप्तिधारी'' कहा गया है) तथा अन्य पणधारकों (स्टेक–होल्डर्स) जैसे कि हस्तक्षेपकर्ता (Intervener) तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को आयोग के भोपाल स्थित कार्यालय में बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांत के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी विषय पर सुनवाई की गई। आयोग द्वारा रिकार्ड में उपलब्ध अभिलेखों तथा मध्य प्रदेश शासन (ऊर्जा विभाग) द्वारा दिनांक 31 मई, 2005 को जारी आदेशों जिनके अन्तर्गत दिनांक 1 जून, 2005 से प्रभावशील अन्तरण योजना (ट्रांसफर स्कीम) (आदेश क्रं. 3679/एफआरएस/18/13/2002 दिनांक 31.5.2005 तथा राज्य शासन द्वारा दिनांक 12 जून, 2008 को अधिसूचित अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्रों (Final Opening Balance Sheets) (दिनांक 31.5.05 की स्थिति में) तथा राज्य शासन द्वारा दिनांक 16 जून, 2009 को जारी मध्यप्रदेश राजपत्र को अधिसूचना तथा तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को पुनर्आवंटित उत्पादन क्षमता पर विचार किया गया है।

2. एमपीपीटीसीएल द्वारा विषय वस्तु से संबंधित याचिका दिनांक 4 जून, 2009 को दाखिल की गई। आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 1487 दिनांक 8 जुलाई, 2009 द्वारा, याचिका के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत उन्हें याचिका से संबंधित अपूर्ण जानकारी के संबंध में अवगत कराया गया। एमपीपीटीसीएल के संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग के कार्यालय में दिनांक 15 जुलाई, 2009 को एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। दिनांक 15 जुलाई, 2009 को आयोजित चर्चा के उपरांत, एमपीपीटीसीएल द्वारा अपनी पुनरीक्षित याचिका पत्र क्रमांक 8022 दिनांक 31 अगस्त, 2009 द्वारा प्रस्तुत की गई। आयोग द्वारा याचिका दिनांक 23 सितम्बर, 2009 को स्वीकार की गई तथा याचिकाकर्ता को याचिका की संक्षेपिका पणधारकों से उनकी टिप्पणी/सुझाव आमन्त्रित किये जाने बाबत् अंग्रेजी तथा हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये। इस विषय पर सार्वजनिक सुनवाई आयोग के भोपाल स्थित कार्यालय में दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को संचालित की गई। एमपीपीटीसीएल द्वारा सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों तथा अनुवर्ती चर्चाओं के आधार पर अतिरिक्त जानकारी अपने पत्र क्रमांक 10872 दिनांक 2 दिसम्बर, 2009 के द्वारा प्रस्तुत की गई। इस आदेश को अन्तिम करते समय आयोग द्वारा समस्त उपलब्ध जानकारी तथा अभिलेखों पर विचार कर लिया गया है।

3. आयोग ने याचिका का सूक्ष्म परीक्षण मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2009 (जिसे एतद् पश्चात् ''विनियम'' कहा गया है) के अनुसार किया है तथा प्रस्तावित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता विनियमों के उपबन्धों के आधार पर संशोधित किया है। एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रस्तावित की गई विद्युत–दर (टैरिफ) में संशोधन इस विस्तृत आदेश के साथ संलग्न है। याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया वार्षिक स्थाई लागत का सारांश जैसा कि इसे यह आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है, निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

**तालिका 1 : याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई वार्षिक स्थाई लागत** (राशि करोड़ रूपये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses) | 213.49 | 245.34 | 279.18 |
| 2 | टर्मिनल प्रसुविधाएं (Terminal Benefits) | 352.78 | 379.25 | 403.53 |
| 3 | अवमूल्यन (Depreciation) | 171.52 | 218.56 | 254.67 |
| 4 | ब्याज एवं वित्त प्रभार (Interest & Finance Charges) | 135.43 | 160.19 | 189.53 |
| 5 | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital) | 29.01 | 33.67 | 38.08 |
| 6 | पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity) | 221.27 | 270.90 | 312.00 |
| 7 | मप्रविनिआ शुल्क तथा कर (MPERC Fees & Taxes) | 1.58 | 1.88 | 2.19 |
| **8** | **सरल क्रमांक 1 से 7 का योग** | **1125.08** | **1309.79** | **1479.18** |
| 9 | घटायें : गैर–टैरिफ आय (Non Tariff Income) | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| **10** | **शुद्ध वार्षिक स्थाई लागत** | **1122.08** | **1305.79** | **1474.18** |

**तालिका 2 : आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक स्थाई लागत** (राशि करोड़ रूपये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses) | 208.48 | 229.64 | 250.77 |
| 2 | टर्मिनल प्रसुविधाएं (Terminal Benefits) | 318.99 | 37.51 | 41.63 |
| 3 | अवमूल्यन (Depreciation) | 164.30 | 193.36 | 209.12 |
| 4 | ब्याज एवं वित्त प्रभार (Interest & Finance Charges) | 118.79 | 110.23 | 97.96 |
| 5 | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital) | 27.05 | 23.04 | 24.56 |
| 6 | पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity) | 206.40 | 225.87 | 242.4 |
| 7 | मप्रविनिआ शुल्क तथा कर (MPERC Fees & Taxes) | 1.08 | 1.13 | 1.19 |
| **8** | **सरल क्रमांक 1 से 7 का योग** | **1045.09** | **820.78** | **867.63** |
| 9 | घटायें : गैर–टैरिफ आय (Non Tariff Income) | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| **10** | **शुद्ध वार्षिक स्थाई लागत** | **1033.09** | **806.78** | **851.63** |

4. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग निर्देश देता है कि बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अन्तर्गत इस आदेश द्वारा अवधारित पारेषण टैरिफ

दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से लागू होगा तथा यह दिनांक 31 मार्च, 2012 तक प्रभावशील रहेगा जो कि आयोग द्वारा प्रदत्त वार्षिक अनुमोदनों के अध्यधीन होगा। दिनांक 31 मार्च, 2010 तक, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान लागू विद्युत दर (टैरिफ) के अनुसार बिलिंग की जाना जारी रखेगा। वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु लागू पारेषण प्रभारों की अवशेष राशि की बिलिंग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में मासिक आनुपातिक दर के आधार पर वित्तीय वर्ष 2010–11 के पारेषण प्रभारों के साथ–साथ की जाएगी। याचिकाकर्ता द्वारा इस आदेश के कार्यान्वयन हेतु मप्रविनिआ (टैरिफ अवधारणा के लिए अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 की कण्डिका 1.30 के अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी कर उचित कदम उठाये जाएं तथा इस आदेश के परिपालन के समर्थन में आयोग को तत्संबंधी जानकारी प्रदान करे।

5. विस्तृत कारण तथा आधार के साथ उपरोक्तानुसार आदेश पढ़ा गया।

| हस्ताक्षरित | हस्ताक्षरित | हस्ताक्षरित |
|---|---|---|
| (सी.एस. शर्मा) | (के.के. गर्ग) | (डा. जे.एल. बोस) |

**दिनांक : 11 जनवरी, 2010**

**स्थान : भोपाल**

## विषय–सूची


| | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|
| **अध्याय–1** | **7** |
| **आदेश की पृष्ठभूमि** | **7** |
| भूमिका | 7 |
| प्रक्रियात्मक इतिहास | 11 |
| एमपीपीटीसीएल द्वारा दाखिल की गई याचिका की संक्षेपिका | 12 |
| सार्वजनिक सुनवाई | 12 |
| **अध्याय–2** | **13** |
| **पारेषण लागत** | **13** |
| पारेषण प्रणाली क्षमता | 13 |
| पूंजीगत लागत, पूंजीगत संरचना तथा ऋण पूंजी अनुपात | 13 |
| पारेषण निवेश योजना (2009–14) | 17 |
| **ग्यारहवीं योजना का पारेषण कार्यक्रम** | **18** |
| वार्षिक योजना 2007–08 की समीक्षा | 18 |
| वार्षिक योजना 2008–09 की समीक्षा | 19 |
| वार्षिक योजना 2009–10 की समीक्षा | 20 |
| वार्षिक योजना 2010–11 की समीक्षा | 20 |
| वार्षिक योजना 2011–12 की समीक्षा | 20 |
| अतिरिक्त पूंजीकरण | 24 |
| नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण | 24 |
| **प्रचालन एवं संधारण व्यय** | **25** |
| मानदण्डों के अनुसार प्रस्तावित प्रचालन एवं संधारण व्यय | 26 |
| प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड | 27 |
| **टर्मिनल प्रसुविधाएं** | **30** |
| **पूंजी पर प्रतिलाभ** | **33** |
| **ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार** | **36** |
| अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्र के अनुसार अन्तरित किये गये ऋण | 36 |
| दिनांक 1–6–05 से 31–3–09 के मध्य ऋणों में परिवर्तन | 37 |

दिनांक 31–3–2009 की स्थिति में बकाया ऋण ———————— 38

ऋणों के मुख्य स्त्रोत ———————————————— 39

**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज** ———————————————— **47**

**अवमूल्यन** ———————————————— **48**

अवमूल्य की दरें ———————————————— 49

नवीन नियंत्रण अवधि हेतु सकल स्थाई परिसंपत्तियां तथा अवमूल्यन 50

नियंत्रण अवधि के दौरान किया गया अवमूल्यन दावा ————————

अदायगी संबंधी दायित्व तथा अवमूल्य के विरूद्ध अग्रिम ———————— 50

**अन्य** ———————————————— **54**

मप्रविनिआ शुल्क ———————————————— 54

कर ———————————————— 55

गैर–टैरिफ आय ———————————————— 55

**वार्षिक स्थाई लागत** ———————————————— **56**

दीर्घ अवधि क्रेताओं हेतु पारेषण प्रभार ———————————— 57

लघु–अवधि खुली पहुंच हेतु दरें ———————————————— 57

अपारम्परिक विद्युत उत्पादकों द्वारा किये जाने वाला भुगतान ——— 58

**अध्याय–3** ———————————————— **60**

**आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 19 मार्च, 2008 के अन्तर्गत प्रसारित किये गये दिशा–निर्देशों के परिपालन की अद्यतन स्थिति** ———————————— **60**

**अध्याय–4** ———————————————— **64**

**एमपीपीटीसीएल की याचिका पर आपत्तियां तथा टिप्पणियां** ———————— **64**

# अध्याय–1

## आदेश की पृष्ठभूमि

### भूमिका

1.1 यह आदेश मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (जिसे एतद पश्चात ''एमपीपीटीसीएल'' अथवा ''पारेषण अनुज्ञप्तिधारी'' कहा गया है) द्वारा बहुवर्षीय सिद्धांतों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु पारेषण प्रणाली के दीर्घ अवधि हितग्राहियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले पारेषण तथा संबंद्ध प्रभारों के अवधारण हेतु दाखिल की गई याचिका क्रमांक 26, वर्ष 2009 से संबंधित है। एमपीपीटीसीएल दिनांक 1 जून, 2005 से स्वतंत्र रूप से क्रियाशील हो चुकी है। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु एक आदेश दिनांक 7 फरवरी, 2006 को पारित किया गया था। तत्पश्चात् आयोग द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2006 को वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु बहुवर्षीय, सिद्धांतों के आधार पर पारेषण टैरिफ अवधारित किया गया। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 हेतु सत्यापन आदेश क्रमशः दिनांक 1 मार्च, 2007, 19 मार्च, 2008 तथा 21 अक्टूबर, 2009 को जारी किये गये।

1.2 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2011–12 की नियंत्रण अवधि बाबत बहुवर्षीय टैरिफ हेतु सिद्धांत अपनी अधिसूचना दिनांक 8 मई, 2009 द्वारा ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग'' (पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु निबन्धन तथा शर्तें) विनियम 2009 के माध्यम से जारी किये गये। आयोग ने पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त उल्लेखित विनियमों के आधार पर अपने प्रस्ताव दायर किये जाने बाबत् निर्देश दिये।

1.3 राज्य शासन द्वारा अपने आदेश दिनांक 31 मई, 2005 द्वारा कम्पनियों को दिनांक 31.5.2005 की स्थिति में प्रावधिक ''प्रारंभिक तुलन पत्र (Opening Balance sheets)''अधिसूचित किये गये। तद्नुसार मप्र राज्य विद्युत मण्डल तथा कम्पनियों के मध्य प्रचालन एवं प्रबंधन अनुबंध समाप्त घोषित कर दिया गया तथा कम्पनियां एक रोकड़–प्रवाह तन्त्र (कैश फ्लो मैकेनिस्म) के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से दिनांक 1.6.2005 से क्रियाशील हो गईं। दिनांक 31.5.05 की स्थिति में प्रारंभिक तुलन–पत्र अनुवर्ती दिनांक 12 जून, 2008 को अधिसूचित किया जा चुका है।

1.4 दिनांक 31.5.05 की स्थिति में एमपीपीटीसीएल का प्रावधिक प्रारंभिक तुलन–पत्र निम्नानुसार उद्धरित किया जाता है :

तालिका 3 :

| मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का प्रावधिक प्रारंभिक तुलन–पत्र (Opening Balance Sheet) | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (करोड़ रूपये में) |
| दायित्व | राशि | परिसम्पत्तियां | राशि |
| मप्र शासन से पूंजी (Equity) | 845 | सकल स्थाई परिसम्पत्तियां | 2,407 |
| परियोजना विशिष्ट पूंजीगत दायित्व (विलम्बित भुगतानों को सम्मिलित कर) | 531 | घटायें : संचित अवमूल्यन | 1,076 |
| पावर फायनेन्स कार्पोरेशन (पीएफसी) | 321 | शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां | 1,331 |
| साडा ग्वालियर | 15 | (C W I P) | 847 |
| मप्र शासन से ऋण (एडीबी) | 195 | पेंशन दायित्वों के प्रति विनियामक परिसम्पत्तियां | 3,910 |
| मप्रराविमं से ऋण | 835 | चालू परिसम्पत्तियां | - |
| चालू दायित्व | | स्कन्ध (स्टाक) | 66 |
| कार्मिकों से संबंधित दायित्व | 20 | कुल चालू परिसम्पत्तियां | 66 |
| उपार्जित ब्याज राशि जो देय नहीं है (Interest accrued but not due) | 13 | | |
| कुल चालू दायित्व | 33 | | |
| पेंशन दायित्व | 3,910 | | |
| कार्यकारी पूंजी हेतु ऋण प्राप्ति | (0) | | |
| अधिविकर्षण (ओवरड्राफ्ट) | - | | |
| कार्यकारी पूंजी मांग ऋण +रोकड़ आकलन (क्रेडिट) | (0) | | |
| संचित आधिक्य / कमी | - | | |
| सुरक्षित निधि / आरक्षित निधि | 0 | | |
| कुल दायित्व | 6,154 | कुल परिसम्पत्तियां | 6,154 |

टीप :–

1. स्थाई परिसम्पत्तियों के मूल्य पुस्तक में अंकित मूल्यों के अनुसार हैं।
2. आकस्मिक दायित्व, उक्त सीमा जहां तक वे पारेषण गतिविधियों से संबंधित या संबद्ध हैं या एमपीट्रांसको के उपक्रमों या परिसम्पत्तियां से संवद्ध हैं, एमपीट्रांसको में निहित होंगे। (इनकी अनुमानित राशि रू 41.66 करोड़ है)
3. उपरोक्त तुलन–पत्र अन्तरण तिथि की स्थिति में वास्तविक तुलन–पत्र के अन्तिम होने तक प्रावधिक है ।

यहां उल्लेख किया जाता है कि ''प्रारंभिक तुलन–पत्र आदेश तिथि से बारह (12) माह की अवधि तक प्रावधिक रहेगा।'' मध्य प्रदेश शासन आदेशों की अनुसूचियों में अन्तर्विष्ट मूल्यों अथवा निबन्धन व शर्तों में संशोधन / अदल–बदल / सुधार अथवा अन्यथा परिवर्तन कर सकेगा। राज्य शासन द्वारा इसकी समय अवधि में अनुवर्ती तौर पर समय–समय पर वृद्धि की गई तथा अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्र (दिनांक 01.06.05 की स्थिति में) को दिनांक 12 जून 2008 को अधिसूचित किया गया।

1.5 मध्य प्रदेश शासन द्वारा एमपीपीटीसीएल तथा अन्य कम्पनियों के अन्तिम तुलन–पत्र को आदेश क्रमांक 4068–एफआरएस–18–2002–XIII भोपाल दिनांक 12 जून, 2008 को अधिसूचित किया गया। प्रावधिक तथा अन्तिम तुलन–पत्र की स्थूल तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार दर्शाई गई है :

**तालिका : 4**

| सरल क्रमांक | विवरण | राशि | | अन्तर |
|---|---|---|---|---|
| | | प्रावधिक अन्तिम तुलन–पत्र के अनुसार | अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्र के अनुसार | |
| I. | **परिसम्पत्तियां –** | | | |
| 1 | सकल खण्ड (Gross Block) | 2407.00 | 2932.75 | 525.75 |
| 2 | संचित अवमूल्यन (Accumulated Depreciation) | 1076.00 | 1205.95 | 129.95 |
| 3 | शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां | 1331.00 | 1726.81 | 395.81 |
| 4 | निर्माण कार्य प्रगति पर (C.W.I.P.) | 847.00 | 198.46 | (-) 648.54 |
| 5 | विनियामक परिसम्पत्तियां (पेंशन) | 3910.00 | 00.00 | (-) 3910.00 |
| | **चालू परिसम्पत्तियां –** | | | |
| i. | स्कन्ध (स्टॉक) | 66.00 | 34.41 | |
| ii. | रोकड़ एवं बैंक में शेष राशि | 00.00 | 10.76 | |
| iii. | ऋण तथा अग्रिम राशि | 00.00 | 37.34 | |
| iv. | विविध प्राप्ति योग्य राशि | 00.00 | 195.12 | |
| 6 | कुल चालू परिसम्पत्तियां | 66.00 | 277.63 | 211.63 |
| | **कुल परिसम्पत्तियां** | **6154.00** | **2202.90** | **- 3951.10** |
| II. | **दायित्व** | | | |
| 1 | म प्र शासन से पूंजी (Equity) | 845.00 | 730.43 | (-) 114.57 |
| 2 | मध्य प्रदेश शासन से ऋण | 195.00 (केवल एडीबी) | 473.05 | 278.05 |
| 3 | पीएफसी से ऋण | 321.00 | पूंजीगत दायित्वों में सम्मिलित | - 321.00 |
| 4 | साडा से ऋण | 15.00 | शासकीय दायित्वों में सम्मिलित | - 15.00 |
| 5 | पूंजीगत दायित्व | 00.00 | 572.26 | 572.26 |
| 6 | पूंजीगत दायित्वों पर देय भुगतान | 00.00 | 267.90 | 267.90 |
| 7 | मप्रराविमं से ऋण | 835.00 | 00.00 | - 835.00 |
| 8 | पेंशन दायित्व | 3910.00 | 00.00 | - 3910.00 |
| 9 | **चालू दायित्व** | | | |
| i. | कर्मचारियों से संबंधित दायित्व | 20.00 | | |
| ii. | उपार्जित ब्याज राशि जो देय नहीं है | 13.00 | | |
| iii. | अन्य चालू दायित्व | | 159.25 | |
| | कुल चालू दायित्व | 33.00 | 159.25 | 126.25 |
| | **कुल दायित्व** | **6154.00** | **2202.90** | **- 3951.10** |

आदेश दिनांक 12 जून, 2008 में किये गये निर्बन्धन निम्नानुसार उद्धरित किये जा रहे हैं :

*(अ) इस आदेश में संलग्न कम्पनियों के प्रारंभिक अन्तिम तुलन–पत्र समस्त पणधारकों (स्टेक होल्डर्स) हेतु अन्तिम तथा बन्धनकारी होंगे।*

*(ब) कम्पनियों तथा अवशेष मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा उचित तौर पर किये गये परिवर्तनों के साथ–साथ दिनांक 31 मई, 2005 को अधिसूचित प्रावधिक प्रारंभिक तुलन–पत्रों को समस्त संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों तथा अन्य पणधारकों को सूचित करने संबंधी उचित कदम उठाये जाएंगे।*

*(सी) प्रमुख (वित्त एवं लेखा) मप्रराविमं द्वारा कम्पनियों को क्षेत्रीय लेखाधिकारी–वार लेखा संकेतावली (कोड) वार विवरण प्रदान किये जाएंगे।*

*(डी) राज्य शासन द्वारा विभिन्न ऋण प्रदायकर्ताओं द्वारा मप्रराविमं को उनके द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के संबंध में दी गई प्रत्याभूतियां कम्पनी के नाम से स्वतः अन्तरित हो जाएंगी जिन्हें कि अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्र के अनुसार ऐसे ऋण आवंटित किये गये हैं तथा ये प्रतिभूतियां उन्हीं निबन्धन तथा शर्तों पर मान्य रहेगी जब तक कम्पनी का ऋण दायित्व अन्तिम रूप से मुक्त नहीं हो जाता।*

*(ई) अवशेष मप्रराविमं तथा मप्रराविमं की उत्तराधिकारी कम्पनियों के मध्य रोकड़ प्रवाह तन्त्र (Cash Flow Mechanism) जैसा कि वह इस अधिसूचना तिथि को प्रचलित है, आगामी आदेशों तक प्रचलन में जारी रहेगा।*

*(एफ) अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्रों में ''मप्रराविमं द्वारा कम्पनियों को ऋण प्रदाय'' जैसी कोई मद शामिल नहीं है, अतएव ऊर्जा विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 300/13/2006 दिनांक 18 जनवरी, 2006 के अंतर्गत पूर्व में जारी निर्देश वापस लिये जाते हैं।*

*(जी) राज्य भार प्रेषण केन्द्र की परिसम्पत्तियां, जिनका पुस्तक मूल्य (Book Value) रू. 67.55 लाख है, को मप्र पावर ट्रांसमिशन कम्पनी की परिसम्पत्तियों में शामिल किया जाता है। राज्य भार प्रेषण केन्द्र अभी तक स्वतंत्र कम्पनी नहीं बना है तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु कोई प्रारंभिक तुलन पत्र अधिसूचित नहीं किया जा रहा है।*

*(एच) ऋण क्रमांक 20102007 जिसकी कुल राशि रू. 119 करोड़ है, को पावर फायनेंस कार्पोरेशन द्वारा विद्युत उत्पादन योजना के अन्तर्गत मढ़ीखेड़ा जल विद्युत संयत्र हेतु स्वीकृत किया गया था तथा इसे मप्र पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) को आवंटित किया गया था। इस ऋण में से रू. 5.53 करोड़ की राशि पारेषण कार्यों से संबंधित है जो कि एमपीपीपीटीसीएल द्वारा एमपीपीजीसीएल को इन्हीं निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार भुगतान की जाएगी।*

*(आई) एसएलआर तथा पीपी बन्ध–पत्रों (Bonds) के प्रति दायित्व कम्पनियों को आवंटित किये जा चुके हैं। तथापि, इन दायित्वों को मप्रराविमं द्वारा कम्पनियों की ओर से सेवाकृत किया जाना जारी रखा जाएगा। कम्पनियों की पुस्तकों में इन दायित्वों को लेख्यांकित किये जाने हेतु, मप्रराविमं कम्पनियों को समय–समय पर निवेशकों के नाम, निवेश राशि, प्रदान किये जाने वाला ब्याज तथा देय भुगतान की तिथि, आदि मय दायित्वों के व्यवस्थापन के संबंध में सूचना जैसा तथा जब ये विभिन्न निवेशकों के संबंध में घटित होते हैं, हेतु समस्त आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेंगे।*

*(जे) भारत सरकार के आदेश दिनांक 4 नवम्बर, 2004 के कारण कम्पनीवार आवंटन के अतिरिक्त आकस्मिक दायित्व जो कि मप्रविमं के मप्रराविमं तथा छत्तीसगढ़ राविमं के मध्य परिसम्पत्तियों*

*तथा दायित्वों के विभाजन के कारण हैं, को ओएस क्रमांक 06/04 में सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के उपरान्त राज्य शासन द्वारा पृथक से अधिसूचित किया जाएगा।*

*(के) मप्रराविमं के पेंशनरों तथा कर्मचारियों के संबंध में पूर्व के अप्रवाधानित (unfunded) पेंशन दायित्वों को जैसा कि वे दिनांक 31 मई, 2005 की स्थिति में विद्यमान हैं, को जीवनांकिक मूल्यांकन (Acturial Valuation) द्वारा आकलित किया जाना है। अतएव इसे अवशेष मप्रराविमं के पास सम्प्रति (for the time being) रखा जा रहा है। मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा वास्तविक पेंशन/उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान को उसकी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में दावा किया जाएगा, जब तक कि पूर्व में अधिसूचित आदेश क्रमांक 4003–एफआरएस–17–13–2002 दिनांक 13 जून, 2005 के नियम 10 तथा 11 में आदिष्ट रीति अनुसार पूर्व के अप्रावधानित दायित्वों के बराबर अपेक्षित निधि का गठन नहीं कर दिया जाता है।*

*(एल) कम्पनियों तथा वैधानिक प्राधिकरणों के मध्य सामान्य भविष्य निधि (GPF) ग्रुप टर्म इन्श्योरेंस स्कीम (GTIS) तथा एससीएलआईएस (SCLIS) के संबंध में प्रशासन तथा लेखांकन से संबंधित विषय एमपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा देखा जाना जारी रखा जाएगा।*

1.6 अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्र (दिनांक 1.6.05 की स्थिति में) को दिनांक 12 जून, 2008 को अधिसूचित किये जाने पर, वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु एमपीपीटीसीएल के वार्षिक लेखे तैयार किये गये है। तथा इन्हें अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्र के अनुसार अंकेक्षित करा लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु सत्यापन याचिका अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्र के अनुसार ही प्रस्तुत की गई है। वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु सत्यापन याचिका में प्रारंभिक तुलन–पत्र पर आधारित वित्तीय वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 हेतु टैरिफ का पुनर्वलोकन भी सम्मिलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2011–12 हेतु वर्तमान बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में प्रक्षेपण भी अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्र के अनुसार ही किये गये हैं।

## प्रक्रियात्मक इतिहास (Procedural History)

1.7 एमपीपीटीसीएल द्वारा विषय वस्तु से संबंधित याचिका दिनांक 4 जून, 2009 को दायर की गई। आयोग द्वारा याचिका के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत अपने पत्र क्रमांक 1487 दिनांक 8 जुलाई, 2009 द्वारा अपूर्ण जानकारी के संबंध में एमपीपीटीसीएल को सूचित किया गया। एमपीपीटीसीएल के संबंधित अधिकारियों द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2009 को आयोग के कार्यालय में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। दिनांक 15 जुलाई, 2009 को की गई चर्चा के उपरांत, एमपीपीटीसीएल द्वारा एक पुनरीक्षित आवेदन अपने पत्र क्रमांक 8022 दिनांक 31 अगस्त, 2009 द्वारा प्रस्तुत किया गया। आयोग द्वारा यह याचिका 23 सितम्बर, 2009 को स्वीकार की गई, तथा याचिकाकर्ता को पणधारकों की टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु याचिका की संक्षेपिका अंग्रेजी तथा हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु निर्देश दिये गये। तदनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 26 सितम्बर, 2009 को, पणधारकों की टिप्पणियां तथा सुझाव दिनांक 19 अक्टूबर, 2009 तक आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की गई। इस विषय पर सार्वजनिक सुनवाई आयोग के भोपाल स्थित कार्यालय में दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को संचालित की गई। एमपीपीटीसीएल द्वारा सार्वजनिक सुनवाई तथा अनुवर्ती की गई चर्चा के अन्तर्गत उठाये गये मुद्दों पर उनके पत्र क्रमांक 10872 दिनांक 2 दिसम्बर, 2009 द्वारा अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की गई। आयोग द्वारा इस आदेश को अन्तिम करते समय याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई समस्त उपलब्ध जानकारी तथा अभिलेखों पर विचार कर लिया गया है।

**एमपीपीटीसीएल द्वारा दायर की गई याचिका की संक्षेपिका निम्नानुसार दी गई है :**

**तालिका : 5 वार्षिक स्थाई लागत (Annual Fixed Cost) के रूप में टैरिफ याचिका की संक्षेपिका**

(राशि करोड़ रूपये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses) | 213.49 | 245.34 | 279.18 |
| 2 | टर्मिनल प्रसुविधाएं (Terminal Benefits) | 352.78 | 379.25 | 403.53 |
| 3 | अवमूल्यन (Depreciation) | 171.52 | 218.56 | 254.67 |
| 4 | ब्याज एवं वित्त प्रभार (Interest & Finance Charges) | 135.43 | 160.19 | 189.53 |
| 5 | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital) | 29.01 | 33.67 | 38.08 |
| 6 | पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity) | 221.27 | 270.90 | 312.00 |
| 7 | मप्रविनिआ शुल्क तथा कर (MPERC Fees) | 1.58 | 1.88 | 2.19 |
| **8** | **सरल क्रमांक 1 से 7 का योग** | **1125.08** | **1309.79** | **1479.18** |
| 9 | घटायें : गैर–टैरिफ आय | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| **10** | **शुद्ध वार्षिक स्थाई लागत** | **1122.08** | **1305.79** | **1474.18** |

**जन सुनवाई**

1.8 आयोग ने दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके अन्तर्गत समस्त इच्छुक पक्षकारों को दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को जन सुनवाई मे उपस्थित रहने बाबत आमन्त्रित किया गया। सार्वजनिक सूचना दैनिक भास्कर भोपाल, नई दुनिया इन्दौर, नवभारत, जबलपुर तथा हिन्दुस्तान टाईम्स (समस्त मध्य प्रदेश संस्करण) में प्रकाशित की गई।

1.9 आयोग द्वारा एमपीपीटीसीएल की टैरिफ याचिका की जन सुनवाई आयोग के भोपाल स्थित कार्यालय में दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को आयोजित की गई। आयोग ने मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन, जबलपुर द्वारा टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि से पूर्व उनकी टिप्पणियों/सुझाव प्राप्त किये। याचिकाकर्ता के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त म.प्र. विद्युत मण्डल पेंशनर्स एसोसियेशन, जबलपुर की ओर से श्री वी.के. अग्रवाल जन सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए।

# अध्याय–2

## पारेषण लागत (Transmission Cost)

### 2.1 दिनांक 31 मार्च 2009, 31 मार्च 2010 तथा 31 मार्च, 2011 की स्थिति में पारेषण प्रणाली क्षमता (Transmission System Capacity)

याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में दायर किया गया है कि पारेषण प्रणाली क्षमता की गणना [सहायक खपत (auxiliary consumption) तथा अन्तर्राज्यीय हानियों को घटा कर के] वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु 8091 मेगावाट, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु 8656 मेगावाट तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 9241 मेगावाट होती है। याचिकाकर्ता ने याचिका के पैरा 2.4.1 से 2.4.3 में वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न स्त्रोतों से अपेक्षित अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ता ने तत्पश्चात् दिनांक 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010 तथा 1 अप्रैल 2011 की स्थिति में मध्य प्रदेश पारेषण प्रणाली की औसत क्षमता (अंशदान आधार पर) याचिका के परिशिष्ट 3, 4 तथा 5 में प्रस्तुत की है। राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 3513–एफ–3–24– 2009–XIII दिनांक 16 जून, 2009 द्वारा अधिसूचित विद्युत उत्पादन क्षमता के पुनर्आवंटन के आधार पर याचिकाकर्ता ने विद्युत वितरण कम्पनियों को देय निम्न क्षमता आवंटन प्रस्तुत किया गया है :–

**तालिका : 6 नियंत्रण अवधि बाबत क्षमता आवंटन**

| स. क्रं. | वितरण अनुज्ञप्तिधारी | प्रतिशत आवंटन | वर्ष हेतु क्षमता आवंटन | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
| 1 | मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि जबलपुर | 31.06% | 2509 | 2685 | 2867 |
| 2 | मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि भोपाल | 33.86% | 2736 | 2927 | 3125 |
| 3 | मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि इन्दौर | 35.08% | 2834 | 3032 | 3237 |
| 4 | **विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु योग** | **100%** | **8079** | **8644** | **9229** |
| 5 | विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एसईजेड) पीथमपुर (धार) | - | 12 | 12 | 12 |
| 6 | **महायोग** | **-** | **8091** | **8656** | **9241** |

### 2.2 पूंजीगत लागत, पूंजीगत संरचना तथा ऋण पूंजी अनुपात (Capital Cost, Capital Structure & Debt Equity Ratio)

**याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण :**

याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 तक पुनरीक्षित वित्तीय तथा भौतिक पारेषण योजना प्रस्तुत की है जिसे निम्न तालिकाओं में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका : 7 (अ) वित्तीय–ग्यारहवीं योजना का पारेषण कार्यक्रम

| स . क्रं. | विवरण | ग्यारहवीं योजना (2007–12) में वर्ष वार निवेश (लाख रूपये में) | | | | | योग ग्यारहवीं योजना 2007–12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |
| अ. | पारेषण तन्तुपथ (लाइनें) | | | | | | |
| 1 | 400 केवी | 1052 | 247 | 17544 | 23044 | 44850 | 86737 |
| 2 | 220 केवी | 18792 | 16147 | 20720 | 23350 | 18998 | 98007 |
| 3 | 132 केवी | 5198 | 24378 | 30493 | 19975 | 24442 | 104486 |
| | **उप–योग** | **25042** | **40772** | **68757** | **66369** | **88290** | **289230** |
| ब. | अति उच्च दाब (ईएचवी) उपकेन्द्र | | | | | | |
| 1 | 400 केवी | 0 | 3000 | 12354 | 16300 | 7427 | **39081** |
| 2 | 220 केवी | 11157 | 18591 | 21993 | 21136 | 18718 | **91595** |
| 3 | 132 केवी | 10441 | 23427 | 23196 | 25570 | 13480 | **96114** |
| 4 | विविध कार्य | 520 | 510 | 1700 | 625 | 625 | **3980** |
| | **उप–योग** | **22118** | **45528** | **59243** | **63631** | **40250** | **230770** |
| | **महायोग** | **47160** | **86300** | **128000** | **130000** | **128540** | **520000** |

तालिका : 7 (ब) भौतिक–ग्यारहवीं योजना का पारेषण कार्यक्रम

| सरल क्रमांक | विवरण | वर्ष वार भोतिक कार्यक्रम (2007–12) | | | | | योग ग्यारहवीं योजना 2007–12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 (वास्तविक) | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |
| अ. | पारेषण तन्तुपथ (सर्किट किलोमीटर) | | | | | | |
| 1 | 400 केवी | 0 | 28.86 | 0 | 380 | 720 | 1128.86 |
| 2 | 220 केवी | 463.81 | 879.26 | 1768.9 | 1493.1 | 893 | 5498.07 |
| 3 | 132 केवी | 221.63 | 532.6 | 1732.63 | 1024.8 | 1425 | 4936.66 |
| | **योग** | **685.44** | **1440.72** | **3501.53** | **2897.9** | **3038** | **11563.59** |
| अ. | अति उच्च दाब उपकेन्द्र (एमवीए) | | | | | | |
| 1 | 400 केवी | 0 | 315 | 0 | 945 | 1260 | **2520** |
| 2 | 220 केवी | 580 | 1480 | 2540 | 1320 | 1060 | **6980** |
| 3 | 132 केवी | 580 | 1010 | 1366 | 1132 | 723 | **4811** |
| | **योग** | **1160** | **2805** | **3906** | **3397** | **3043** | **14311** |

2.3 एमपीपीटीसीएल द्वारा कतिपय भूल–चूक पर विचार करते हुए योजना अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों के सृजन संबंधी आकलन अपेक्षित पूंजीकरण से कम प्रक्षेपित किये गये हैं। योजना में कतिपय भूल–चूक पर विचार करने पर, एमपीपीटीसीएल ने मानदण्डों का प्रक्षेपण आगामी नियंत्रण अवधि के वर्ष हेतु उपलब्धियां 70% मानकर किया है। इन वर्षों के दौरान, परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण को प्रक्षेपित आंकड़ों से युक्तियुक्त रखे जाने की दृष्टि से इसे आगे 10% कम कर दिया गया है।

तदनुसार, प्राप्त की जाने वाली निधि के अपेक्षित स्त्रोतों की पहचान कर ली गई हैः तथा याचिकाकर्ता द्वारा इसे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

**तालिका : 8** (राशि रूपये लाख में)

| स. क्रं. | वर्ष | योजना राशि | निधि की अपेक्षित प्राप्ति | निधि के स्त्रोत (Gross Fixed Assets) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पीएफसी प्रतिभूत (Secured) | पीएफसी अप्रतिभूत (unsecured) | एडीबी 2323 | एडीबी 2346 | नवीन एडीबी III तथा अन्य योजना | राज्य शासन की पूंजी आंतरिक स्त्रोत | एडीबी 1869 | केनरा बैंक |
| पूर्व की नियंत्रण अवधि (OLD CONTROL PERIOD) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2007-08 | 47160 | 24340 | 3701 | 3942 | 4437 | 2986 | NIL | 7234 | 615 | 1425 |
| 2 | 2008-09 | 86300 | 59030 | NIL | 3352 | 11082 | 27056 | NIL | 17540 | NIL | NIL |
| नवीन नियंत्रण अवधि (NEW CONTROL PERIOD) | | | | | | | | | | | |
| i. | गठबंधन से (From Tied-up) | | | 3200 | 3400 | 17000 | 23000 | NIL | 15100 | NIL | 1300 |
| ii. | अपेक्षित गठनबंधन से (From to be Tied-up) | | | NIL | 7800 | NIL | NIL | 7000 | 11800 | NIL | NIL |
| 3 | 2009-10 | 128000 | 89600 | 3200 | 11200 | 17000 | 23000 | 7000 | 26900 | NIL | 1300 |
| i. | गठबंधन से (From Tied-up) | | | 3000 | 3500 | 12500 | 17500 | NIL | 12400 | NIL | NIL |
| ii. | अपेक्षित गठनबंधन से (From to be Tied-up) | | | NIL | 6000 | NIL | NIL | 21100 | 15000 | NIL | NIL |
| 4 | 2010-11 | 130000 | 91000 | 3000 | 9500 | 12500 | 17500 | 21100 | 27400 | NIL | NIL |
| i. | गठबंधन से (From Tied-up) | | | NIL | NIL | 7500 | 1500 | NIL | 11000 | NIL | NIL |
| ii. | अपेक्षित गठनबंधन से (From to be Tied-up) | | | NIL | 10000 | NIL | NIL | 43900 | 16000 | NIL | NIL |
| 5 | 2011-12 | 128540 | 89900 | NIL | 10000 | 7500 | 1500 | 43900 | 27000 | NIL | NIL |
| **6** | **योग** | **520000** | **353870** | **9901** | **37994** | **52519** | **72042** | **72000** | **106074** | **615** | **2725** |

2.4 पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) तथा निधि की अपेक्षित प्राप्ति के आधार पर एमपीपीटीसीएल ने नियंत्रण अवधि हेतु निम्न सकल स्थाई परिसम्पत्तियां आकलित की हैं तथा वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 हेतु एक योजना बनाई है।

**तालिका : 9** (रूपये करोड़ में)

| सरल क्रमांक | वर्ष | सकल स्थाई परिसम्पत्तियां | | |
|---|---|---|---|---|
| | | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान जोड़ी गई | वर्ष की समाप्ति पर |
| 1 | 2009-10 | 3954.13 | 768.00 | 4722.13 |
| 2 | 2010-11 | 4722.13 | 780.00 | 5502.13 |
| 3 | 2011-12 | 5502.13 | 771.00 | 6237.13 |

2.5 पूंजी की राशि में से निवेशित की गई पूंजी तथा मानदण्डीय ऋण जैसा कि इसे याचिकाकर्ता द्वारा दर्शाया गया है, निम्नानुसार हैं :

**तालिका : 10** (राशि लाख रूपये में)

| 13 | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| I. | **सकल स्थाई परिसम्पत्तियां (GROSS FIXED ASSETS)** | | | |
| i. | वर्ष के प्रारंभ में | 395413.00 | 472213.00 | 550213.00 |
| ii. | वर्ष की समाप्ति पर | 472213.00 | 550213.00 | 627313.00 |
| iii. | वर्ष के दौरान औसत | 433813.00 | 511213.00 | 588763.00 |
| II. | पूंजीगत कार्यों पर निवेशित की गई पूंजी की उच्चतम सीमा [1(iii) का 30%] | 130143.90 | 153363.90 | 176628.90 |
| III. | **धारित की गई पूंजी (Equity Held)** | | | |
| i. | वर्ष के प्रारंभ में | 132453.06 | 159353.06 | 186753.06 |
| ii. | वर्ष की समाप्ति पर | 159353.06 | 186753.06 | 213753.06 |
| iii. | वर्ष के दौरान औसत | 145903.06 | 173053.06 | 200253.06 |
| IV. | प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) के अन्तर्गत औसत पूंजी (पैरा 8.8 की तालिका से) | 20634.48 | 18546.15 | 15493.98 |
| V. | पूंजीगत कार्यों पर निवेशित की गई औसत पूंजी [III(iii)-IV] | 125268.58 | 154506.91 | 184759.08 |
| VI. | मानदण्डीय ऋण (V-II) | 0.00 | 1143.01 | 8130.18 |
| VII. | ब्याज दर | 9.41% | 8.55% | 8.09% |
| VIII. | मानदण्डीय ऋण पर ब्याज | 0.00 | 97.73 | 657.73 |

**विनियम में प्रावधान (Provision in Regulation)**

2.6 प्रयोज्य बहुवर्षीय विनियमों की कण्डिका 17.1 के अनुसार, किसी परियोजना हेतु पूंजीगत लागत में निम्न सम्मिलित होंगे :

*''कार्य के मूल प्रावधान के अनुसार किया गया व्यय अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्त प्रभार, निर्माणाधीन अवधि में ऋण पर विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण कोई लाभ अथवा हानि से जो परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक, जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, निम्नानुसार होगा – (i) लगाई गई 70 प्रतिशत निधि के बराबर, ऐसे प्रकरणों में जहां वास्तविक पूंजी, लगाई गई निधि से 30% अधिक हो, आधिक्य पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जावेगा, अथवा (ii) लगाई गई निधि के 30% से कम लगाई गई निधि के प्रकरण में, ऋण की वास्तविक राशि के बराबर जैसा कि आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच–पड़ताल के उपरान्त स्वीकार किया गया हो, टैरिफ अवधारण का आधार बनेगा।*

*(अ) प्रारंभिक कल–पुर्जों की राशि निम्न शीर्षस्थ मानदण्डों के अध्यधीन होगी :*

*(i) पारेषण तन्तुपथ (Transmission Line) –मूल परियोजना लागत का 0.75 प्रतिशत*

*(ii) पारेषण उपकेन्द्र (Transmission Substation)–मूल परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत*

*(iii) श्रृंखलाबद्ध क्षतिपूर्ति उपकरण (Series Compensation devices)– मूल परियोजना लागत का 3.5%*

*(ब) विनियम 18 के अन्तर्गत अवधारित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय''*

2.7 प्रयोज्य बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों की कण्डिका 20.1 के अनुसार :

*''किसी परियोजना हेतु जिसे दिनांक 1.4.2009 को अथवा इसके उपरान्त वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित किया गया हो, यदि वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी, पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत अधिक हो तो ऐसी दशा में 30 प्रतिशत से अधिक लगाई गई पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा :*

*''बशर्ते जहां वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी पूंजीगत लागत से 30 प्रतिशत कम हो वहां ऐसे प्रकरण में टैरिफ अवधारण हेतु वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी को ही मान्य किया जाएगा।''*

2.8 इसके अतिरिक्त, प्रयोज्य बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों की कण्डिका 20.2 के अनुसार :

*''ऐसे प्रकरण में जहां पारेषण प्रणाली को दिनांक 1.4.2009 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2009 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्तर्गत टैरिफ के अवधारण हेतु अनुज्ञेय किया गया ऋण–पूंजी (इक्विटी) अनुपात मान्य किया जाएगा।''*

**<u>पारेषण निवेश योजना (Transmission Investment Plan) (2009-14)</u>**

2.9 याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, पारेषण निवेश योजना भी प्रस्तुत की है। जिसके लक्ष्य तथा उद्देश्य पारेषण प्रणाली का विस्तार/सुदृढ़ीकरण, राज्य की विद्युत उत्पादन योजनाओं से विद्युत की निकासी, राज्य पारेषण प्रणाली को राष्ट्रीय ग्रिड से अन्तर्संयोजित किया जाना, निम्न दाब वोल्टेज समस्याओं पर काबू पाना तथा अति उच्च दाब प्रणाली को अतिभारित किये जाने से बचाया जाना हैं।

याचिकाकर्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि नवीं योजना की अवधि के दौरान वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पारेषण प्रणाली के विकास में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। तथापि, दसवीं योजना की अवधि के दौरान इसमें आंशिक क्षतिपूर्ति की गई है तथा यह प्रक्रिया ग्यारहवीं तथा बारहवीं योजना अवधि में भी जारी है।

## ग्यारहवीं योजना का पारेषण कार्यक्रम (11th Plan Transmission Programme)

ग्यारहवीं योजना के पारेषण कार्यक्रम के बारे में याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि :

पारेषण कार्यक्रम (2007–12) हेतु कुल रू. 6804.46 करोड़ के निवेश की योजना माह जुलाई 07 में तैयार की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बारहवीं योजना अवधि में क्रियाशील होने वाली शाहपुरा ताप विद्युत स्टेशन (1000 मेगावाट) तथा बिरसिंहपुर ताप विद्युत स्टेशन की 500 मेगावाट की विस्तार इकाई हेतु निकास प्रणाली संबंधी कार्यक्रम सम्मिलित था। तथापि, चूंकि मप्रजनको द्वारा उनके भावी कार्यक्रम में बिरसिंहपुर ताप विद्युत स्टेशन की विस्तार इकाई की तत्संबंधी विद्युत निकास प्रणाली में सम्मिलित नहीं किया गया है अतः तत्संबंधी विद्युत निकासी प्रणाली को भी मप्र ट्रांसको की निवेश योजना में से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त शाहपुर ताप विद्युत स्टेशन के वर्तमान के क्रियाशील होने संबंधी कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए, शाहपुर ताप विद्युत स्टेशन से संबंधित विद्युत निकासी प्रणाली को भी वर्ष 2012–13 तथा वर्ष 2013–14 तक बढ़ा दिया गया है। अवधि 2007–12 के दौरान पारेषण संबंधी कार्यों पर पुनरीक्षित निवेश, जैसा कि इसकी समीक्षा माह अप्रैल, 08 में की गई, को रू. 5200 करोड़ आकलित किया गया था। इसकी पुनः वित्तीय वर्ष 2008–09 की समाप्ति पर माह जून, 09 में भी समीक्षा की गई है, तथा ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–12) में अब रू. 5000 करोड़ राशि के निवेश का पूर्वानुमान किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी वर्षवार वित्तीय आवश्यकता निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है :

**तालिका : 11**

| विवरण | ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–08 से 2011–12 तक) के अन्तर्गत पारेषण कार्यक्रम हेतु वित्तीय आवश्यकता | |
|---|---|---|
| | माह जुलाई 07 में तैयार किये गये प्रस्ताव अनुसार | मह अप्रैल 08 में तैयार किये गये प्रस्ताव अनुसार |
| 2007-08 | 715.79 | 471.60 |
| 2008-09 | 1274.40 | 863.00 |
| 2009-10 | 1525.07 | 1280.00 |
| 2010-11 | 1704.51 | 1300.00 |
| 2011-12 | 1584.69 | 1285.40 |
| **ग्यारहवीं योजना हेतु योग** | **6804.46** | **5200.00** |

यहां यह भी निवेदन किया जाता है कि पारेषण कार्यक्रम एक आवश्यकता आधारित कार्यक्रम है तथा इसका वास्तविक निष्पादन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

ग्यारहवीं योजना की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों/प्रगति/कार्यक्रम के बारे में, याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि :

### (अ) वार्षिक योजना 2007–08 की समीक्षा

वार्षिक योजना 2007–08 के दौरान, कुल आवश्यकता आधारित वित्तीय मांग रू. 652.55 करोड़ की राशि के विरूद्ध रू. 272.99 करोड़, का अनुमानित व्यय पारेषण कार्यों हेतु [(एडीबी से रू. 111.14 करोड़, टीएसपी के अन्तर्गत रू. 27.80 करोड़, एससीएसपी के अन्तर्गत रू. 21.20 करोड़ तथा मप्र शासन से रू. 112.85 की पूंजी (इक्विटी)] अनुमोदित किया गया था। रू. 379.56 करोड़ की अवशेष धनराशि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं (पीएफसी, आरईसी आदि) से ऋण के रूप में प्राप्त किये जाने

की अपेक्षा की गई थी। वर्ष 2007–08 के दौरान, पारेषण कार्यों हेतु पुनरीक्षित व्यय रू. 292.52 करोड़ [(एडीबी से रू. 80.67 करोड़, टीएसपी के अन्तर्गत रू. 27.80 करोड़, एससीएसपी के अन्तर्गत रू. 21.20 करोड़ तथा मप्र शासन से रू. 162.85 करोड़ की पूंजी (इक्विटी)] अनुमानित था। इस राशि के विरूद्ध वर्ष 2007–08 के दौरान, रू. 471.60 करोड़ की राशि व्यय की गई है, जिसमें रू. 325.65 करोड़ की योजना राशि [एडीबी से रू. 100 करोड़, टीएसपी के अन्तर्गत रू. 27.80 करोड़, एससीएसपी के अन्तर्गत रू. 21.20 करोड़ तथा मप्र शासन से रू. 89.66 की पूंजी (इक्विटी)] तथा रू. 145.95 करोड़ ऋण के रूप में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं (पीएफसी, केनरा बैंक आदि) से प्राप्त हुई। व्यय में कमी मुख्य रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा ऋण के निरस्त किये जाने के कारण हुई।

वर्ष 2007–08 के दौरान, 1424 सर्किट किलोमीटर अति उच्च दाब तन्तुपथों (लाईनों) का निर्माण तथा 1640 एमवीए क्षमता के अति उच्च दाब उपकेन्द्र जोड़े जाने का कार्यक्रम था। इसके विरूद्ध, 718.22 सर्किट किलोमीटर की अति उच्च दाब लाईनों का निर्माण तथा 1160 एमवीए क्षमता के अति उच्च दाब उपकेन्द्र जोड़े गये हैं। इसमें इन्दौर (पूर्व) के नवीन 220/33 केवी उपकेन्द्र तथा आरोन (गुना), खजुराहो, (छतरपुर) पोरसा (मुरैना), कटरा (रीवा) तथा ब्यौहारी (शहडोल) स्थित नवीन 132 केवी उपकेन्द्र शामिल हैं।

## (ब) वार्षिक योजना 2008–09 की समीक्षा

वार्षिक योजना 2008–09 के अन्तर्गत रू. 863 करोड़ की कुल आवश्यकता आधारित वित्तीय मांग के विरूद्ध रू. 555.40 का अनुमानित व्यय अनुमोदित किया गया था। रू. 307.60 करोड़ की अवशेष राशि की प्राप्ति विभिन्न वित्तीय संस्थाओं (पीएफसी, केनरा बैंक आदि) से ऋण के रूप में अपेक्षित थी। इसके विरूद्ध, वर्ष 2008–09 के दौरान रू. 896.33 करोड़ का व्यय किया गया है, जिसमें रू. 630.17 करोड़ की योजना राशि की प्राप्ति [रू. 431.58 करोड़, एडीबी से तथा मप्र शासन से रू. 198.59 करोड़ पूंजी (इक्विटी) के रूप में] तथा रू. 266.16 करोड़ की बाह्य योजना राशि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं (पीएफसी, केनरा बैंक आदि) से सम्मिलित है।

वर्ष 2008–09 के दौरान 1293 सर्किट किलोमीटर के अति उच्च दाब तन्तुपथों (लाईनों) का निर्माण कार्य तथा अति उच्च दाब उपकेन्द्र में 2953 एमवीए क्षमता को जोड़े जाने का कार्यक्रम था। इसके विरूद्ध, वर्ष 2008–09 में 1296.34 सर्किट किलोमीटर के अति उच्च दाब तन्तुपथों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। जिसमें 400 केवी तन्तुपथों के 28.70 सर्किट किलोमीटर, 220 केवी तन्तुपथों के 871.54 किलोमीटर तथा 132 केवी तन्तुपथों के 396.10 सर्किट किलोमीटर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008–09 के दौरान अति उच्च दाब उपकेन्द्रों की 3063 एमवीए क्षमता जोड़ी गई, जो कि एक वार्षिक कीर्तिमान है। इसमें मण्डीदीप (रायसेन) में नवीन 220 केवी उपकेन्द्र (1x160+1x100 एमवीए) बड़ोद (उज्जैन) में (1x160 एमवीए), सागर में (1x160 एमवीए), होशंगाबाद में (1x160 एमवीए), सबलगढ़ (मुरैना) में (1x160 एमवीए), सीधी में (1x160 एमवीए) तथा छनेरा (जिला हरदा), गैरतगंज (जिला रायसेन), घोसला (जिला उज्जैन), नैनपुर (जिला मण्डला), सलीमानाबाद (जिला कटनी), मकसूदनगढ़ (जिला गुना), मऊगंज (जिला रीवा) तथा बेनेगांव (जिला बालाघाट) में 132/33 केवी नवीन उपकेन्द्र सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, माह मार्च, 2009 के अन्त में 220 केवी के 1700 सर्किट किलोमीटर तन्तुपथों तथा 132 केवी के 1541 सर्किट किलोमीटर तन्तुपथों का निर्माण कार्य प्रगति पर था। 315 एमवीए क्षमता के 400 केवी उपकेन्द्रों के

कार्य, 1960 एमवीए क्षमता के 220 केवी उपकेन्द्रों के कार्य तथा 1146 एमवीए क्षमता के 132 केवी उपकेन्दों के कार्य भी प्रगति पर थे।

## (स) वार्षिक योजना 2009–10

वित्तीय वर्ष 2009–10 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत पारेषण कार्यों हेतु आवश्यकता आधारित वित्तीय मांग रू. 1280.00 करोड़ आकलित की गई थी जिसमें रू. 694.96 की बाह्य योजना राशि (पीएफसी ऋण, केनरा बैंक तथा विभिन्न अन्य वित्तीय संस्थाओं से) सम्मिलित थी। वर्ष 2009–10 के दौरान योजना राशि में से रू. 585.04 करोड़ की अवशेष राशि [एडीबी से रू. 336.13 करोड़ की ऋण राशि तथा मप्र शासन से रू. 248.91 की पूंजी (इक्विटी)] की आवश्यकता थी। तथापि, राज्य योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई रू. 1290.45 करोड़ की योजना की उच्चतम सीमा (सीलिंग) के अन्तर्गत, पारेषण कार्यों हेतु रू. 451 करोड़ तक का अनुमानित व्यय सीमित कर दिया गया [एडीबी से रू. 300 करोड़ का ऋण, टीएसपी के अंतर्गत रू. 43.00 करोड़, एससीएसपी के अंतर्गत रू. 58.00 करोड़ तथा मप्र शासन से रू. 50.00 करोड़ की पूंजी (इक्विटी)]। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008–09 के दौरान मप्र शासन से पूंजी (इक्विटी) के रूप में प्राप्त रू. 50.00 करोड़ की राशि जिसे वर्ष 2008–09 के दौरान व्यय नहीं किया जा सका है, को भी वर्ष 2009–10 में उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार, वर्ष 2009–10 के दौरान पारेषण कार्यों पर कुल रू. 1005.91 करोड़ (योजना से रू. 501.00 करोड़ तथा बाह्य योजना से रू. 504.91 करोड़) की राशि का निवेश किया जाएगा।

वर्ष 2009–10 के दौरान 1512 सर्किट किलोमीटर अति उच्च दाब तन्तुपथों का निर्माण तथा अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में 2964 एमवीए क्षमता जोड़े जाने का कार्यक्रम है।

## (द) वार्षिक योजना 2010–11

वर्ष 2010–11 को वार्षिक योजना के दौरान, पारेषण कार्यों पर आवश्यकता आधारित वित्तीय मांग रू. 1263.37 करोड़ आंकी गई है जिसमें रू. 731.93 करोड़ की बाह्य योजना निधि (पीएफसी ऋण, केनरा बैंक तथा विभिन्न अन्य वित्तीय संस्थाओं से) सम्मिलित है। वर्ष 2010–11 के दौरानरू. 531.44 करोड़ [रू. 303.67 करोड़ का एडीबी ऋण तथा मप्र शासन से रू. 227.77 करोड़, पूंजी (इक्विटी) के बतौर] की अवशेष निधि की आवश्यकता होगी।

वर्ष 2010–11 के दौरान, 2993 सर्किट किलोमीटर अति उच्च दाब तन्तुपथों का निर्माण तथा अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में 2801 एमवीए क्षमता जोड़े जाने का कार्यक्रम है।

## (ई) वार्षिक योजना 2011–12

वर्ष 2011–12 को वार्षिक योजना के दौरान, पारेषण कार्यों पर आवश्यकता आधारित वित्तीय मांग रू. 1362.79 करोड़ आंकी गई है जिसमें रू. 1126.96 करोड़ की बाह्य योजना निधि (पीएफसी ऋण, केनरा बैंक तथा विभिन्न अन्य वित्तीय संस्थाओं से) सम्मिलित है। वर्ष 2011–12 के दौरान मप्र शासन से पूंजी (इक्विटी) के बतौर रू. 236.03 करोड़ की अवशेष निधि की आवश्यकता होगी। वर्ष 2011–12 के दौरान, 3550 सर्किट किलोमीटर अति उच्च दाब तन्तुपथों का निर्माण तथा अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में 3564 एमवीए क्षमता जोड़े जाने का कार्यक्रम है।

2.10 उपरोक्त निवेश योजना के साथ–साथ नियंत्रण अवधि की वार्षिक योजना को भी दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा पूर्व के तीन वर्षों, यथा वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2008–09 तक की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां चाही गई थीं, जिनका अवलोकन निम्न तालिकाओं में किया जा सकता है :

**तालिका : 12 पिछले तीन वर्षों की भौतिक उपलब्धियां**

| स. क्रं | विवरण | इकाई | दिनांक 1.4.06 की स्थिति में क्षमता | जोड़ी गई क्षमता | | | दिनांक 31.3.09 की स्थिति में कुल क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2006.07 | 2007.08 | 2008.09 | |
| | **पारेषण तन्तुपथ (लाईनें) (Transmission Lines)** | | | | | | |
| 1 | 400 केवी | सर्किट किलोमीटर | 2314 | 0 | 0 | 29 | 2343 |
| 2 | 220 केवी | सर्किट किलोमीटर | 6989 | 720 | 465 | 872 | 9046 |
| 3 | 132 तथा 66 केवी | सर्किट किलोमीटर | 10568 | 358 | 253 | 396 | 11575 |
| | **योग** | **सर्किट किलोमीटर** | **19872** | **1078** | **718** | **1297** | **22964** |
| | **अति उच्च दाब उपकेन्द्र (EHV Sub Stations)** | | | | | | |
| 4 | 400 केवी | एमवीए | 3885 | 0 | 0 | 0 | 3885 |
| 5 | 220 केवी | एमवीए | 8850 | 800 | 580 | 1740 | 11970 |
| 6 | 132 तथा 66 केवी | एमवीए | 10440 | 920 | 540 | 1323 | 13223 |
| | **योग** | **एमवीए** | **23175** | **1720** | **1120** | **3063** | **29078** |

**तालिका : 13 एमपीपीटीसीएल की पारेषण योजना वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक (ग्यारहवीं योजना)**

**(राशि करोड़ रूपये में)**

| स. क्रं. | वर्ष | माह जुलाई 07 में प्रस्तुत मूल योजना के अनुसार | माह अप्रैल 08 में प्रस्तुत पुनरीक्षित योजना के अनुसार | योजना के विरूद्ध उपलब्धियां/ आकलन | टीप |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-08 | 715.79 | 471.60 | 471.60 | योजना के विरूद्ध व्यय प्राक्कलित राशि के आधार पर लिया गया है। वास्तविक राशि की जानकारी की प्राप्ति पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण किये जाने के पश्चात् की जाएगी |
| 2 | 2008-09 | 1274.40 | 863.00 | 896.30 | |
| 3 | 2009-10 | 1525.07 | 1280.00 | *572.75 माह दिसम्बर 09 तक | |
| 4 | 2010-11 | 1704.51 | 1300.00 | 910.00 (आकलित) | |
| 5 | 2011-12 | 1584.46 | 1285.00 | 899.00 (आकलित) | |
| | **योग** | **6804.46** | **5200.00** | **3749.65** | |

***एमपीपीटीसीएल द्वारा सूचित की गई अद्यतन स्थिति के अनुसार**

## आयोग का विश्लेषण

2.11 यह देखा गया है कि एमपीपीटीसीएल द्वारा स्वयं योजना राशि के 70% की प्राप्ति की अपेक्षा निधि के रूप में की गई है तथा प्रगति पर निर्माण कार्यों (CWIP) के अंतर्गत कतिपय निधियों पर विचार करते हुए, प्रत्याशित पूंजीकरण सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (GFA) में जोड़े जाने हेतु योजना राशि के 60% की दर से लिया गया है। विनियम 20 में कहा गया है कि यदि लगाई गई पूंजी (इक्विटी) वास्तविक लगाई गई पूंजीगत लागत (Capital Cost) से 30% अधिक हो तो 30% आधिक्य पूंजी (इक्विटी) को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा। यदि वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी (इक्विटी), पूंजीगत लागत के 30% से कम हो तो वास्तविक लगाई गई पूंजी को विद्युत दर (टैरिफ) निर्धारण हेतु माना जाएगा।

2.12 तालिका 8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शासकीय पूंजी (गठबंधन की गई तथा गठबंधन की जाने वाली) प्रत्याशित प्राप्त की जाने वाली राशि का 30% उल्लेखित की गई है। गठबंधित (Tied up) निधि प्रत्याशित निधि प्राप्ति राशि का मात्र 12 से 15% है। आयोग द्वारा यह पाया गया है कि वर्ष 2009–10 हेतु याचिकाकर्ता द्वारा गठबंधित निधि सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि जो रू. 768 करोड़ दर्शाई गई है, के विरूद्ध मात्र रू. 630 करोड़ दर्शाई गई है। याचिकाकर्ता द्वारा दर्शाया गया है वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य शासन का पूंजी अन्तरण (infusion) रू. 269 करोड़ है, जबकि गठबंधित पूंजी याचिका के पैरा 4.8 के अन्तर्गत मात्र रू. 151 करोड़ दर्शाई गई है। शासकीय कम्पनी में पूंजी का अन्तरण (infusion) बजट के माध्यम से किया जाता है जिसे कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किया जाता है। बजट प्रावधान से अधिक दावा किये गये पूंजी अन्तरण (infusion) को मान्य नहीं किया जाता।

उपरोक्त तालिकाओं के अवलोकन से ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत निम्न भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी है :

**तालिका : 14**

| स. क्र. | विवरण | इकाई | 2006–07 | | 2007–08 | | | 2008–09 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रावधान | उपलब्धि | प्रावधान | उपलब्धि | %उपलब्धि | प्रावधान | उपलब्धि | %उपलब्धि |
| 1 | 400 केवी | सर्किट किलोमीटर | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 2 | 220 केवी | सर्किट किलोमीटर | 0 | 720 | 956 | 465 | 49% | 771 | 872 | 113% |
| 3 | 132 तथा 66 केवी | सर्किट किलोमीटर | 0 | 358 | 441 | 253 | 58% | 972 | 396 | 41% |
| **योग** | | | | **1078** | **1426** | **718** | **50%** | **1743** | **1297** | **74%** |
| 4 | 400 केवी | एमवीए | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 |
| 5 | 220 केवी | एमवीए | 0 | 800 | 1000 | 580 | 58% | 1800 | 1740 | 97% |
| 6 | 132 तथा 66 केवी | एमवीए | 0 | 920 | 660 | 540 | 82% | **1447** | 1323 | 91% |
| **योग** | | | | **1720** | **1660** | **1120** | **67%** | **3877** | **3063** | **79%** |

**वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार पाई गई है :**

**तालिका : 15**

| स. क्रं. | वित्तीय वर्ष | मूल योजना जुलाई 07 के अनुसार (करोड़ रूपये में) | उपलब्धियां | | प्रतिशत उपलबिधयां | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | याचिकाकर्ता के उल्लेखानुसार | जैसा कि वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है | याचिकाकर्ता के उल्लेखानुसार | वार्षिक लेखा के अनुसार |
| 1 | 2007.08 | 715.79 | 471.60 | 332.00 | 66% | 46.38% |
| 2 | 2008.09 | 1274.40 | 896.30 | 669 | 70% | 52.50% |

2.13 चूंकि इन दो वर्षों के लेखे अन्तिम किये जा चुके हैं अतः प्राक्कलित व्यय का कोई औचित्य नहीं है। आगामी विश्लेषण हेतु, वार्षिक लेखों के अन्तर्गत दर्शाये गये वास्तविक व्यय पर विचार किया जा रहा है।

2.14 जैसा कि तालिका 14 के अन्तिम कालम से ज्ञात होता है, वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान वित्तीय उपलब्धि निवेश योजना का 50% रही है। इस आधार पर, रू. 450 करोड़ प्रति वर्ष की पूंजीगत व्यय (Capex) की उपलब्धि की अपेक्षा आगामी वर्षों में की जा सकती है। सम्प्रति, आयोग द्वारा इस आदेश में उपयुक्त आकलन किये जाने हेतु, पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) की गठबंधित पूंजी (tied up equity) तथा कुल पूंजीगत व्यय की प्राप्ति हेतु पूंजीगत व्यय योजना में ऋण से वित्तीय प्रबंधन पर 30:70 के अनुपात में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, कुल पूंजीगत व्यय को पूंजीकृत परिसम्पत्तियों तथा प्रगति पर निर्माण कार्यों (CWIP) के मध्य 4:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है :

**तालिका : 16 सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में आकलित वृद्धि**

(राशि करोड़ रूपये में)

| वर्ष | (30:70) | | | पूंजीकृत किया गया (4:1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | गठबंधित पूंजी | तत्संबंधी ऋण | कुल व्यय | सकल स्थाई परिसम्पत्ति | प्रगति पर निर्माण कार्य |
| वित्तीय वर्ष 2009–10 | 151 | 352 | 503 | 403 | 100 |
| वित्तीय वर्ष 2010–11 | 124 | 289 | 413 | 330 | 83 |
| वित्तीय वर्ष 2011–12 | 110 | 256 | 366 | 293 | 73 |

उपरोक्त वर्ष–वार टैरिफ निवेश योजना में दर्शाये गये आकलित आंकड़ें का प्रयोग इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन हेतु इस आदेश की नियंत्रण अवधि के दौरान प्रचालन तथा संधारण व्यय (O&M expenses), अवमूल्यन, ब्याज, पूंजी पर प्रतिलाभ (ROE) आदि की गणना हेतु किया गया है।

## अतिरिक्त पूंजीकरण (Additional capitalization)

2.15 विनियम 18 में अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रावधान किया गया है। एमपीपीटीसीएल ने इस संबंध में कोई भी जानकारी पृथक से प्रस्तुत नहीं की है। अतिरिक्त पूंजीकरण से संबंधित जानकारी उनकी समग्र पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) में सम्मिलित किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

## नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (Renovation and Modernization)

### याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

2.16 याचिकाकर्ता द्वारा एक विस्तृत योजना लागत–लाभ विश्लेषण (Cost Benefit Analysis) तथा (वित्तीय प्रबंधन संयोजन) (Financial Linkage) को सम्मिलित करते हुए बनाया जाना बाकी है। याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार की योजना बनाये जाने के उपरांत इसे आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अनुमोदन उपरान्त, इसे पारेषण योजना के वार्षिक पुनरीक्षण के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा तथा इसका निष्पादन नियंत्रण अवधि के अन्तर्गत किया जाएगा।

### विनियम संबंधी प्रावधान

2.17 बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों की कण्डिका 19 में प्रावधान किया गया है कि :

*''पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली के उपयोगी जीवनकाल के विस्तार के प्रयोजन हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण पर होने वाले व्यय की आपूर्ति के प्रयोजन से, आयोग के समक्ष एक आवेदन प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ, एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसका सम्पूर्ण उद्देश्य, औचित्य, लागत–लाभ विश्लेषण किसी संदर्भ तिथि से जीवनकाल की अनुमानित वृद्धि, वित्तीय संव्यवहार (Financial Package), व्यय का प्रक्रम, कार्य पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, संदर्भ मूल्य स्तर, कार्य पूर्ण करने संबंधी अनुमानित लागत मय विदेशी विनिमय संघटक के, यदि कोई हो, हितग्राहियों का सहमति–पत्र तथा अन्य कोई जानकारी जिसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रासंगिक माना जावे, संलग्न किया जाएगा।*

*जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, ऐसे प्रकरण में प्रस्ताव का अनुमोदन लागत–प्राक्कलनों के युक्तियुक्त होने, वित्तीय प्रबंधन योजना, कार्यपूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम, निर्माण कार्य के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग, लागत–लाभ विश्लेषण, तथा ऐसे अन्य कारक जो आयोग द्वारा प्रासंगिक समझे जाएंगे, पर यथोचित विचारोपरान्त किया जाएगा।*

*टैरिफ के अवधारण का आधार, किया गया कोई व्यय अथवा किये जाने वाला कोई प्रक्षेपित (Projected) व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी व्यय तथा जीवन काल के विस्तार संबंधी प्राक्कलनों की युक्तियुक्त जांच–पड़ताल पश्चात् तथा प्रतिस्थापित की गई परिसम्पत्तियों की मूल राशि के अपलेखन पश्चात् तथा मूल परियोजना लागत से संचित अवमूल्यन को घटाकर स्वीकार किया गया हो, होगा।''*

### आयोग का विश्लेषण

2.18 एमपीपीटीसीएल के पारेषण नेटवर्क का कुछ भाग काफी पुराना पड़ चुका है तथा यह एमपीपीटीसीएल के हित में होगा कि वह नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण योजनाएं बनाए। याचिका के पैरा 4.9 में एमपीपीटीसीएल द्वारा उल्लेख किया गया है कि रू. 164.02 करोड़ की नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना के विवरण तैयार किये जा रहे हैं, तथा इन्हें आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। योजना के विस्तृत प्रस्तुतिकरण के प्राप्त होने पर, आयोग नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना का परीक्षण करेगा। इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन हेतु, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

## प्रचालन एवं संधारण व्यय

### याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

2.19 याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार निवेदन किया है :

एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रचालन एवं संधारण व्यय व्ययों में निम्न मुख्य शीर्ष सम्मिलित होते हैं:

1. कार्मिक व्यय (Employees Expenses)
2. प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (Administrative & General expenses)
3. मरम्मत तथा संधारण व्यय (Repairs & Maintenance Expenses)

2.20 एमपीपीटीसीएल द्वारा दिनांक 1.6.2005 से स्वतंत्र वित्तीय कार्य एक रोकड़ प्रवाह (Cash Flow Mechanism) के अन्तर्गत प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य शासन के आदेश दिनांक 31.5.2005 के अनुसार इसके उपरान्त की अवधि के प्रचालन एवं संधारण व्ययों की संक्षेपिका निम्नानुसार दर्शाई गई है :

**तालिका : 17**

| सरल क्रमांक | शीर्ष | अंकेक्षित लेखों के अनुसार दिनांक 1.6.05 से 31.3.06 तक के व्यय | कालम 3 में दर्शाये गये व्यय जिन्हें 12 माह की अवधि में परिवर्तित किया गया (वर्ष 05–06) | अंकेक्षित लेखों के अनुसार वर्ष 2006–07 के व्यय | अंकेक्षित लेखा के अनुसार वष्र 2007–08 के व्यय | वर्ष 2008–09 हेतु व्यय (प्राक्कल्लित) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | कार्मिक व्यय | 68.69 | 82.43 | 100.72 | 123.80 | 142.40 |
| 2 | प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय | 13.80 | 16.56 | 13.61 | 17.14 | 19.75 |
| 3 | मरम्मत तथा संधारण व्यय | 11.56 | 13.87 | 20.90 | 15.92 | 24.05 |
| 4 | **योग** | **94.05** | **112.86** | **135.23** | **156.86** | **186.20** |

2.21 उपरोक्त रूझान के आधार पर, नियंत्रण अवधि हेतु प्रचालन तथा संधारण आवश्यकता का आकलन निम्नानुसार किया जा सकता है :

1 वर्ष 2009–10 – रू. 214.25 करोड़
2 वर्ष 2010–11 – रू. 246.50 करोड़
3 वर्ष 2011–12 – रू. 283.50 करोड़

**मानदण्डों के अनुसार प्रस्तावित प्रचालन एवं संधारण व्यय**

मानदंडों के अनुसार अर्हता को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

**तालिका : 18** (राशि लाख रूपये में)

| स. क्रं. | विवरण | 2009–10 | | | 2010–11 | | | 2011–12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मात्रा | मानदंड प्रति 100 कि.मी. | राशि 3x4 | मात्रा | मानदंड प्रति 100 कि.मी. | राशि 6x7 | मात्रा | मानदंड प्रति 100 कि.मी. | राशि 9x10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 400 केवी लाईन | 2343 | 29.1 | 681.81 | 2476 | 30.8 | 762.08 | 2861 | 32.6 | 932.69 |
| 2 | 220 केवी लाईन | 9665 | 23.4 | 2261.61 | 10807 | 24.8 | 2680.14 | 11642 | 26.2 | 3050.20 |
| 3 | 132 केवी लाईन (66 केवी को सम्मिलित कर) | 12182 | 22.0 | 2680.04 | 13147 | 23.3 | 3063.25 | 14005 | 24.6 | 3445.23 |
| **अ** | **योग** | **24190** | **-** | **5623.46** | **26430** | **-** | **6505.47** | **28508** | **-** | **7428.12** |
| **स. क्रं.** | **विवरण** | **मात्रा** | **प्रति बे मानदंड** | **राशि 3x4** | **मात्रा** | **प्रति बे मानदंड** | **राशि 6x7** | **मात्रा** | **प्रति बे मानदंड** | **राशि 9x10** |
| 4 | 400 केवी लाईन | 60 | 13.4 | 804.00 | 64 | 14.2 | 908.80 | 73 | 15.0 | 1095.00 |
| 5 | 220 केवी लाईन | 355 | 10.0 | 3550.00 | 400 | 10.6 | 4240.00 | 437 | 11.2 | 4894.40 |
| 6 | 132 केवी लाईन (66 केवी को सम्मिलित कर) | 1197 | 9.5 | 11371.50 | 1288 | 10.0 | 12880.00 | 1368 | 10.6 | 14500.80 |
| **ब** | **कुल बे (संख्या)** | **1612** | **-** | **15725.50** | **1752** | **-** | **18028.80** | **1878** | **-** | **20490.20** |
| **महायोग (अ+ब)** | | **-** | **-** | **21348.96** | **-** | **-** | **24534.27** | **-** | **-** | **27918.32** |

2.22 अतएव आयोग द्वारा अधिसूचित मानदण्डों के अनुसार, नियंत्रण अवधि हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय की गणना निम्नानुसार की गई है :

1 वर्ष 2009–10 – रू. 213.49 करोड़
2 वर्ष 2010–11 – रू. 245.34 करोड़
3 वर्ष 2011–12 – रू. 279.18 करोड़

## विनियम संबंधी प्रावधान

### प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड (O&M Norms)

2.23 पारेषण टैरिफ विनियमों के अनुसार, प्रचालन एवं संधारण व्यय मानदण्डीय आधार पर अनुज्ञेय किये जाते हैं। विनियमों के अनुसार, दिनांक 8.5.2009 को अधिसूचित प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड निम्नानुसार हैं :

तालिका : 19

| सरल क्रमांक | विवरण | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| तन्तुपथ (लाईनें) रू लाख/100 सर्किट किलोमीटर/वर्ष | | | | |
| 1 | 400 केवी लाईन | 29.1 | 30.8 | 32.6 |
| 2 | 220 केवी लाईन | 23.4 | 24.8 | 26.2 |
| 3 | 132 केवी लाईन | 22.0 | 23.3 | 24.6 |
| बे –रू. लाख/बे/वर्ष | | | | |
| 1 | 400 केवी बे | 13.4 | 14.2 | 15.0 |
| 2 | 220 केवी बे | 10.0 | 10.6 | 11.2 |
| 3 | 132 केवी बे | 9.5 | 10.0 | 10.6 |

2.24 कुल अनुज्ञेय योग्य प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना वर्ष हेतु 'बे' की औसत संख्या तथा तन्तुपथ की 100 सर्किट किलोमीटर लम्बाई के प्रचालन तथा संधारण व्ययों के प्रयोज्य मानदण्डों क्रमशः प्रति बे तथा प्रति 100 सर्किट किलोमीटर के गुणनफल द्वारा की जाएगी।

### आयोग का विश्लेषण

2.25 याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सर्किट किलोमीटर लाईनों तथा बे की संख्या में अभिवृद्धि का आकलन, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु निवेश योजना निधि की प्रत्याशित प्राप्ति द्वारा, दोनों निधि के गठबंधित (Tied up) व गठबंधित की जाने वाली (to be tied up) निधि जैसा कि इसे इस आदेश के पैरा 2.3 की तालिका 8 में दर्शाया गया है किया है। जैसा कि इस आदेश के पैरा 2.14 में अवलोकन किया जा सकता है, आयोग द्वारा केवल पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) की गठबंधित पूंजी (tied up equity) तथा पूंजीगत व्यय योजना में ऋण से वित्तीय प्रबंधन हेतु 30:70 के अनुपात पर विचार किया गया है ताकि वित्तीय मानदण्डों के उचित आकलन तैयार किये जा सकें। पारेषण नेटवर्क में अभिवृद्धि अर्थात्, सर्किट किलोमीटर तन्तुपथ (लाईनें) तथा बे की संख्या, पर विचार करते हुए, जैसा कि आयोग द्वारा पैरा 2.14 की तालिका 16 में विचार किये गये सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) की आकलित अभिवृद्धि व याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई सकल स्थाई परिसम्पत्ति में अभिवृद्धि के अनुपात के आधार पर आयोग द्वारा तदनुसार नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सर्किट किलोमीटर तन्तुपथों तथा बे की संख्या की पुनर्गणना की गई है। आयोग द्वारा वास्तविक सर्किट किलोमीटर तन्तुपथों की लम्बाई तथा बे की संख्या 31 मार्च 2009 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2009–10, वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सर्किट

किलोमीटर तथा बे संख्या आधार के रूप में मानी गई है जैसा कि इसे नीचे प्रदर्शित तालिका 21 तथा 22 में दर्शाया गया है :

तालिका : 20 (अ)

| सरल क्रमांक | तन्तुपथ का विवरण | दिनांक 1.4.08 की स्थिति में | पैरा 2.26 के अनुसार अनुमोदित अभिवृद्धि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | इकाई |
| I | समग्र 400 केवी | 2314 | 29 | 0 | 112 | 192 | सर्किट किलोमीटर |
| II | समग्र 220 केवी | 8174 | 872 | 644 | 439 | 238 | सर्किट किलोमीटर |
| III | समग्र 132 केवी | 11118 | 396 | 631 | 302 | 379 | सर्किट किलोमीटर |
| IV | समग्र 66 केवी | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | सर्किट किलोमीटर |
| **V** | **अति उच्च दाब लाईनों का महायोग (I+II+III+IV)** | **21667** | **1297** | **1275** | **852** | **808** | **सर्किट किलोमीटर** |

तालिका : 20 (ब)

| वोल्टेज | दिनांक की स्थिति में तन्तुपथों की अनुमोदित लम्बाई | | | | | वर्ष के दौरान तन्तुपथ की औसत लम्बाई | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.08 | 01.04.09 | 01.04.10 | 01.04.11 | 01.04.12 | 2009-10 (3+4)/2 | 2010-11 (4+5)/2 | 2011-12 (5+6)/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 400 केवी | 2314 | 2343 | 2343 | 2455 | 2646 | 2343 | 2399 | 2550 |
| 220 केवी | 8174 | 9046 | 9690 | 10129 | 10366 | 9368 | 9909 | 10247 |
| 132+66 केवी | 11179 | 11575 | 12206 | 12507 | 12887 | 11890 | 12357 | 12697 |
| **महायोग** | **21667** | **22964** | **24239** | **25091** | **25899** | **23601** | **24665** | **25495** |

इसी प्रकार औसत बे संख्या जिस पर प्रचालन तथा संधारण व्यय की गणना हेतु विचार किया गया है, निम्नानुसार है :

तालिका : 21 (अ)

| सरल क्रमांक | बे की वोल्टेज श्रेणी | इकाई | दिनांक 1.4.08 की स्थिति में (वास्तविक) | वर्ष में अपेक्षित अनुमोदित क्रियाशील (कमिशनिंग) होने वाले | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
| 1 | 400 केवी | संख्या | 58 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 220 केवी | संख्या | 312 | 18 | 26 | 16 | 13 |
| 3 | 132 केवी | संख्या | 1090 | 50 | 55 | 32 | 32 |
| 4 | 66 केवी | संख्या | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **योग** | **संख्या** | **1464** | **70** | **81** | **52** | **49** |

तालिका : 21 (ब)

| वोल्टेज | दिनांक की स्थिति में अनुमोदित बे संख्या | | | | | वर्ष के दौरान बे की औसत संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.08 | 01.04.09 | 01.04.10 | 01.04.11 | 01.04.12 | 2009-10 (3+4)/2 | 2010-11 (4+5)/2 | 2011-12 (5+6)/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 400 केवी | 58 | 60 | 60 | 63 | 67 | 60 | 62 | 65 |
| 220 केवी | 312 | 330 | 356 | 372 | 386 | 343 | 364 | 379 |
| 132+66 केवी | 1094 | 1144 | 1199 | 1231 | 1263 | 1171 | 1215 | 1247 |
| **योग** | **1464** | **1534** | **1615** | **1667** | **1715** | **1574** | **1641** | **1691** |

2.26 आयोग द्वारा विनियम 37 में प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड विनिर्दिष्ट किये गये हैं। नियंत्रण अवधि के दौरान तन्तुपथ की सर्किट किलोमीटर लम्बाई तथा प्रक्षेपित की गई बे संख्या पर इन्हीं मानदण्डों को लागू करते हुए, अनुज्ञेय योग्य प्रचालन एवं संधारण व्यय निम्नानुसार हैं :

तालिका : 22 (राशि लाख रूपये में)

| स. क्रं. | विवरण | 2009–10 | | | 2010–11 | | | 2011–12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मात्रा | मानदण्ड प्रति 100 कि. मी. | राशि (3X4) | मात्रा | मानदण्ड प्रति 100 कि.मी. | राशि (6X7) | मात्रा | मानदण्ड प्रति 100 कि.मी. | राशि (9X10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 400 केवी लाईन | 2343 | 29.1 | 682 | 2399 | 30.8 | 739 | 2550 | 32.6 | 831 |
| 2 | 220 केवी लाईन | 9368 | 23.4 | 2192 | 9909 | 24.8 | 2457 | 10247 | 26.2 | 2685 |
| 3 | 132 केवी लाईन (66 सम्मिलित कर) | 11890 | 22 | 2616 | 12357 | 23.3 | 2879 | 12697 | 24.6 | 3123 |
| **अ** | **योग** | **23601** | **-** | **5490** | **24665** | **-** | **6076** | **25494** | **-** | **6639** |
| **स. क्रं.** | **विवरण** | **मात्रा** | **मानदंड प्रति बे** | **राशि (3X4)** | **मात्रा** | **मानदंड प्रति बे** | **राशि (6X7)** | **मात्रा** | **मानदंड प्रति बे** | **राशि (9X10)** |
| 4 | 400 केवी बे | 60 | 13.4 | 804 | 62 | 14.2 | 880 | 65 | 15 | 975 |
| 5 | 220 केवी बे | 343 | 10 | 3430 | 364 | 10.6 | 3858 | 379 | 11.2 | 4245 |
| 6 | 132 केवी बे (66 सम्मिलित कर) | 1171 | 9.5 | 11125 | 1215 | 10 | 12150 | 1247 | 10.6 | 13218 |
| **ब** | **कुल बे संख्या** | **1574** | **-** | **15359** | **1641** | **-** | **16889** | **1691** | **-** | **18438** |
| **महायोग (अ+ब)** | | **-** | **-** | **20848** | **-** | **-** | **22964** | **-** | **-** | **25077** |

अतः आयोग इस आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10, वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु क्रमशः रू. 208.48 करोड़, रू. 229.64 करोड़ तथा रू. 250.77 करोड़ के प्रचालन एवं संधारण व्ययों का अनुमोदन करता है।

## टर्मिनल सुविधाएं (Terminal Benefits)

### याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

2.27 याचिकाकर्ता ने दिनांक 30 सितम्बर, 2003 को अधिसूचित प्रथम अन्तरण योजना जिसे दिनांक 13 जून, 2005 को संशोधित किया गया है, के सुसंगत उपबन्धों को उद्धरित किया है। याचिकाकर्ता ने मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 के सुसंगत उपबन्धों की पुनरावृत्ति भी की है तथा निम्न दावा किया है :

**तालिका : 23** (राशि रू. करोड़ में)

| सरल क्रमांक | विवरण | पूर्व की नियंत्रण अवधि | | नवीन नियंत्रण अवधि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2007-08 (अंकेक्षित लेखा)** | **2008-09** | **2009-10** | **2010-11** | **2011-12** |
| 1 | पेंशन | 193.34 | 225.24 | 260.60 | 276.95 | 293.17 |
| 2 | उपादान (ग्रेच्यूटी) | 44.96 | 53.75 | 58.11 | 64.48 | 68.39 |
| 3 | वार्षिकी (एन्यूटी) | 00.24 | 00.26 | 00.28 | 00.31 | 00.34 |
| 4 | प्रावधानित (प्रोविजनिंग) | 27.43 | 30.44 | 33.79 | 37.51 | 41.63 |
| 5 | **योग** | **265.97** | **309.69** | **352.78** | **379.25** | **403.53** |

2.28 इस याचिका में विद्यमान पेंशनरों के संबंध में अप्रावधानित दायित्वों (unfunded liabilities) हेतु किसी भी दावे को शामिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि नवीन ''जीवनांकिक मूल्यांकन (Acturial valuation)'' संचालित कराये जाने संबंधी अर्हता सम्पन्न कराये जाने तथा अप्रावधानित दायित्व का वित्तीय प्रबंधन कराये जाने संबंधी योजना घोषित होने के उपरांत ही याचिकाकर्ता इस संबंध में आयोग से दावों को अनुज्ञेय किये जाने हेतु सम्पर्क करेगा।

2.29 याचिकाकर्ता द्वारा निम्न राशि हेतु टर्मिनल प्रसुविधा दावे (विद्यमान पेंशनरों के संबंध में अप्रावधानित दायित्वों को छोड़कर) अनुज्ञेय किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है :

1 वर्ष 2009–10 – रू. 352.78 करोड़
2 वर्ष 2010–11 – रू. 379.25 करोड़
3 वर्ष 2011–12 – रू. 403.53 करोड़

## विनियम के अंतर्गत प्रावधान

2.30 विनियम के अंतर्गत कण्डिका 27.5 तथा 27.6 में प्रावधान किया गया है कि,

*''मप्र राज्य विद्युत मण्डल से कम्पनियों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण होना अभी भी शेष है। आयोग द्वारा बारम्बार दिये गये अनुदेशों के बावजूद, अनिधित अर्थात् बिना वित्तीय प्रावधान किये गये (unfunded) टर्मिनल दायित्वों के आंकलन हेतु जीवनांकिक विश्लेषण (acturial analysis) तथा पेंशनरों, कर्मचारियों द्वारा नामावली पर पूर्व में प्रदत्त सेवाओं तथा सेवारत कर्मचारियों हेतु चालू प्रावधान के इस दायित्व का पृथक्करण अभी तक किया जाना शेष है। राज्य शासन द्वारा इस अनिधित (unfunded) दायित्व के वित्तीय प्रावधान हेतु एक योजना तथा स्थानान्तरण योजना नियम, 2003 के नियम 10 तथा 11 में की गई अवधारणा के अनुसार टर्मिनल प्रसुविधा न्यास कोष (Terminal Benefit Trust Fund) का संचालन किये जाने बाबत् घोषणा किया जाना अभी भी शेष है।*

*आयोग के मतानुसार, विद्यमान कर्मचारियों के पेंशन अंशदान हेतु वांछित निधि अर्थात् केवल प्रत्येक वर्ष के चालू दायित्वों को एमपी ट्रांसमिशन कम्पनी, लिमिटेड, एमपी जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड तथा तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों की कर्मचारी लागत में अनुज्ञेय किये जाने चाहिए। आयोग इस बीच अर्न्तवर्ती अवधि में वास्तविक पेंशन भुगतान तथा अन्य टर्मिनल प्रसुविधाएं जैसे कि उपादान (गेच्युटी) हेतु वांछित निधि अनुज्ञेय करता आ रहा है। पेंशन देय को में द्रुत वृद्धि के साथ, इसका खुदरा विद्युत दर (टैरिफ) पर उत्तरोत्तर प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वास्तविक पेंशन भुगतान को अनुज्ञेय किये जाने की व्यवस्था को बनाए रखना कठिन होता जा रहा है तथा निकट भविष्य में इसे बन्द करना होगा। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, कर्मचारियों के बिना वित्तीय प्रावधान (अनिधित) के पेंशन दायित्वों तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं के संबंध में निम्न कार्यवाही की जानी चाहिएः–*

*पेंशनरों के पेंशन दायित्वों के अवधारण हेतु तथा एक ओर विद्यमान कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं हेतु तथा दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2010–11 से प्रारंभ होने वाले राजकोषीय वर्ष (Fiscal year) हेतु कार्यरत् कर्मचारियों हेतु एक जीवनांकिक विश्लेषण (acturial analysis) प्रत्येक वर्ष हेतु संचालित कराया जाए, तथा इसके निष्कर्षों को आयोग को 30 सितम्बर, 2009 तक प्रतिवेदित किया जाए। इस गतिविधि का प्रभार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सौंपा जाता है।*

*इस अनिधित दायित्व (unfunded liability) हेतु योजना को अन्तिम रूप दिया जाए तथा राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2009 तक टर्मिनल प्रसुविधा न्यास निधि (Terminal Benefit Trust Fund) हेतु निबन्धन (terms) निर्धारित कर दिये जाएं। अन्तिम की गई योजना इस प्रकार की हो जो यह सुनिश्चित करे कि पूर्व के अनिधित दायित्व अन्ततः खुदरा विद्युत (टैरिफ) पर भार न बनें तथा योजना न्यायसम्मत हो।*

*चूंकि उपरोक्त दर्शाए (अ) तथा (ब) में दर्शाई गई कार्यवाही में और समय लगेगा, टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु निधि को अनुज्ञेय किये जाने हेतु विद्यमान व्यवस्था केवल एक और वर्ष के लिए, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु (अ) तथा (ब) में दर्शाई गई वास्तविक भुगतान आधार पर चालू रखी जाएगी तथा इसका दावा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा। ऐसी दशा में, जहां*

*उपरोक्त दर्शाई गई समयावधि में (अ) तथा (ब) में दर्शाई गई कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती, आयोग वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु तथा और आगे के वर्षों हेतु चालू पेंशन अंशदान का आकलन करेगा तथा केवल वित्तीय वर्ष 2010–11 के बाद से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु ऐसे व्ययों को ही पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की कर्मचारी लागत में अनुज्ञेय करेगा।''*

**आयोग का विश्लेषण**

2.31 आयोग ने टर्मिनल प्रसुविधाओं पर विचार अंकेक्षित लेखों के अनुसार, प्रावधान (Provisioning) को छोड़कर उक्त वर्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 तक जारी किये गये उसके सत्यापन आदेशों के अनुसार किया था। वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु सत्यापन आदेश में, रू. 238.54 करोड़ की कुल टर्मिनल प्रसुविधाएं, प्रावधान (Provisioning) को छोड़कर, अनुमोदित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2008–09 के तुलन पत्र (Balance Sheet) के अनुसार, टर्मिनल प्रसुविधाओं पर कुल व्यय रू. 298.19 करोड़ है तथा रू. 39.25 करोड़ का प्रावधान (Provisioning) किया गया है। याचिकाकर्ता ने प्रावधान (Provisioning) के साथ–साथ टर्मिनल प्रसुविधाओं के संबंध में निम्न दावे दाखिल किये हैं :

**तालिका : 24** (राशि करोड़ रूपये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | प्रावधान के साथ टर्मिनल प्रसुविधा हेतु प्रस्तुत किये गये दावे | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **2009-10** | **2010-11** | **2011-12** |
| 1 | पेंशन | 260.60 | 276.95 | 293.17 |
| 2 | उपादान (ग्रेच्युटी) | 58.11 | 64.48 | 68.39 |
| 3 | वार्षिकी (एन्युटी) | 00.28 | 00.31 | 00.34 |
| 4 | प्रावधान (Provisioning) | 33.79 | 37.51 | 41.63 |
| 5 | **योग** | **352.78** | **379.25** | **403.53** |

2.32 एमपीपीटीसील ने आयोग के समक्ष दिनांक 8 मई, 2009 को अधिसूचित मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के अवधारण बाबत निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2009 के पैरा 2.7 में अन्तर्विष्ट निर्देशों के परिपालन में एक याचिका दाखिल की है। एमपीपीटीसीएल द्वारा दायर की गई इस याचिका का परीक्षण किया जा रहा है तथा याचिकाकर्ता के तर्क को यदि मान्य किया जाता है तो इस कारण विनियमों में उचित संशोधन करने होंगें। तथापि, आयोग ने विनियमों के सुसंबद्ध उपबन्धों के अनुसार, जो वर्तमान में प्रचलन में हैं, वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किये गये अनुसार टर्मिनल प्रसुविधाएं, प्रावधानों को छोड़कर, अनुज्ञेय की हैं। विनियम 27.6 के अनुसार, आयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित कर्मचारियों के ऐसे व्यय को वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु केवल ट्रांसमिशन कम्पनी की कर्मचारी लागत में ही अनुज्ञेय करेगा। तद्नुसार, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, टर्मिनल प्रसुविधाओं का प्रावधान इस आदेश के अंतर्गत अनुज्ञेय किया गया है। आयोग, वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु उसका सोचा समझा गया दृष्टिकोण (considered view) याचिकाकर्ता की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के तत्संबंधी वर्ष हेतु उसके सत्यापन के समय अंकेक्षित लेखों तथा तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार अपनाएगा।

2.33 अतएव इस आदेश के अन्तर्गत नियंत्रण अवधि हेतु, टर्मिनल सुविधा व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु रू. 318.99 करोड, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु रू. 37.51 करोड, तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 41.63 करोड अनुज्ञेय किया जाता है।

## पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on equity)

### याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

2.34 विनियमों में पूंजी पर प्रतिलाभ पूर्व कर आधार दर 15.5% निर्धारित की गई है, जिसे कि आय कर हेतु सकलबद्ध किया जाएगा। चूंकि याचिकाकर्ता को न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate tax-MAT) 12.25% की दर से (अधिभार एवं उपकर को सम्मिलित कर) चुकाना है, पूंजी पर प्रतिलाभ की लागू दर 15.5+(1–0.1225) = ण 17.664% होगी। तद्नुसार, याचिकाकर्ता द्वारा पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना निम्नानुसार की गई है :

**तालिका : 25** (राशि लाख रूपये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **धारित पूंजी (Equity Held)** | | | |
| i. | वर्ष के प्रारंभ में (अंकेक्षित लेखों के अनुसार) | 132453.06 | 159353.06 | 186753.06 |
| ii. | वर्ष के अन्त में | 159353.06 | 186753.06 | 213753.06 |
| iii. | वर्ष के दौरान औसत | 145903.06 | 173053.06 | 200253.06 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) के अंतर्गत औसत पूंजी | 20634.48 | 18546.15 | 15493.98 |
| 3 | निर्माण कार्यों पर लगाई गई औसत पूंजी | 125268.58 | 154506.91 | 184759.08 |
| 4 | अर्हकारी पूंजी (Qualifying Equity) 70:30 अनुपात पर अथवा वास्तविक इसमें से जो भी कम हो | 125268.58 | 153363.90 | 176628.90 |
| 5 | पूंजी पर प्रतिलाभ की दर | 17.664% | 17.664% | 17.664% |
| 6 | पूंजी पर प्रतिलाभ (ROE) | 22127.44 | 27090.04 | 31199.73 |

2.35 विनियमों में उन परियोजनाओं पर 0.5% की दर से अतिरिक्त प्रतिलाभ का भी प्रावधान है, जो निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाती हैं। चूंकि, इस स्थिति में यह आकलन करना संभव नहीं है कि कौन सी परियोजनाएं नियंत्रण अवधि के अन्तर्गत निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कर ली जाएंगी, अतः अनुज्ञप्तिधारी को इस संबंध में दावा 'सत्यापन' याचिकाओं में ही दाखिल करना होगा।

2.36 नियंत्रण अवधि के पूंजी पर प्रतिलाभ संबंधी दावे संक्षेप में निम्नानुसार दर्शाए गये हैं :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | वित्तीय वर्ष 2009–10 | – | रू. 221.27 करोड़ |
| 2 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | – | रू. 270.90 करोड़ |
| 3 | वित्तीय वर्ष 2011–12 | – | रू. 312.00 करोड़ |

**विनियम संबंधी प्रावधान**

2.37 बहुवर्षीय टैरिफ विनियम की कण्डिका 23 के प्रावधान निम्नानुसार हैं :

*''पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना पूर्व–टैक्स आधार पर 15.5 प्रतिशत की आधार दर पर की जाएगी, जिसे इस विनियम के अनुसार सकलबद्ध (Gross-up) किया जाएगा;*

*बशर्ते यह कि ऐसी परियोजनाओं के प्रकरणों में जिन्हें 1 अप्रैल, 2009 को अथवा उसके उपरान्त क्रियाशील (commissioned) किया जाता है, उन पर 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रतिलाभ अनुज्ञेय किया जाएगा यदि ये परियोजनाएं **परिशिष्ट–1** में दर्शाई गई समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कर जाती हैं ।*

*बशर्ते यह भी कि 0.5 प्रतिशत का यह अतिरिक्त प्रतिलाभ अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा, यदि परियोजना उपरोक्त दर्शाई गई समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण नहीं की जाती, भले ही इसका कोई भी कारण क्यों न हो।*

*पूंजी पर प्रतिलाभ की दर की गणना को तीन दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांक किया जाएगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :*

$$\text{पूंजी पर पूर्व–कर प्रतिलाभ की दर (Rate of Pre-Tax Return on equity)} = \frac{\text{आधार दर}}{(1 - t)}$$

*जहां पर 't' इस विनियम की कण्डिका 23.3 के अनुसार प्रयोज्य कर दर है ।*

***निदर्शी उदाहरण** (Illustration) :*

*(i) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, जो न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax - MAT) का भुगतान 11.33 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा उपकर (Surcharge and Cess) को सम्मिलित करते हुए कर रहा हो :*

$$\text{पूंजी पर प्रतिलाभ की दर} = \frac{15.50}{(1 - 0.1133)} = 17.481\% \text{ ''}$$

*(ii) ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, जो सामान्य निकाय कर का भुगतान 33.99 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा उपकर को सम्मिलित कर रहा हो :*

$$\text{पूंजी पर प्रतिलाभ की दर} = \frac{15.50}{(1 - 0.3399)} = 23.481\%$$

**आयोग का विश्लेषण :**

2.38 याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान रू. 269 करोड़ की पूंजी का अन्तरण किया जाना (Equity Infusion) दर्शाया गया है, जबकि गठबंधित पूंजी केवल रू. 151 करोड़ दर्शाई गई हैं। जैसा कि पैरा 2.10 में दर्शाया गया है किसी शासकीय कम्पनी में पूंजी अन्तरण बजट के माध्यम से किया जाता है जिसे कि शासन के विधान–मण्डल द्वारा पारित किया जाता है। आयोग न तो पूंजी को बजट प्रावधान से अधिक अनुज्ञेय कर सकता है तथा न ही याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी पूंजी पर दर्शाए गये मानदण्डीय ब्याज को अनुज्ञेय कर सकता है।

2.39 याचिका के अध्याय 9 में, एमपीपीटीसीएल ने नियंत्रण अवधि के दौरान उसकी पारेषण योजना में पूंजी पर प्रतिलाभ को प्राक्कलित की गई कुल पूंजी पर तथा वित्तीय प्रबंधन हेतु उसके प्राक्कलन के अनुसार दावा किया है। तथापि, याचिका के पैरा 4.8 में, एमपीपीटीसीएल ने स्वयं उल्लेख किया है कि नियंत्रण अवधि के दौरान राज्य शासन की पूंजी (इक्विटी)/आन्तरिक स्त्रोत निम्नानुसार होंगेः

**तालिका : 26** (राशि लाख रूपये में)

| सरल क्रमांक | पूंजी का विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| i. | गठबंधित पूंजी (Tied up equity) | 15100 | 12400 | 11000 |
| ii. | गठबंधित की जाने वाली पूंजी (to be tied up equity) | 11800 | 15000 | 16000 |
| iii. | वर्ष के दौरान कुल पूंजी में आकलित वृद्धि | 26900 | 27400 | 27000 |

2.40 आयोग यहां जोर देना चाहता है कि एमपीपीटीसीएल को पूंजी तथा ऋण की वांछित राशि की व्यवस्था हेतु अपने समस्त प्रयास करने चाहिए, ताकि परियोजनाएं समय अवधि तथा अनुमोदित वित्तीय स्त्रोतों के अन्तर्गत पूर्ण की जा सकें तथा नियोजित परियोजनाओं के लाभ समय पर प्राप्त किये जा सकें। हालांकि, आयोग को उपभोक्ताओं के हितों का भी संतुलन करना होगा।

2.41 अतएव, पूंजी पर प्रतिलाभ का अनुमोदन केवल गठबंधित पूंजी को मान्य करते हुए निम्न दर्शाए अनुसार किया गया है। तथापि, एमपीपीटीसीएल वर्ष के दौरान पूंजी पर प्रतिलाभ का दावा वास्तविक निवेशित की गई पूंजी पर तत्संबंधी वर्ष की सत्यापन याचिका में कर सकती है। आयोग ने पूंजी तथा पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना वित्तीय वर्ष 2008–09 के प्रारंभ में अंकेक्षित लेखों में अभिलिखित पूंजी, निवेश योजना में गठबंधित पूंजी तथा ब्याज तथा वित्तीय प्रभारों हेतु तालिका 37 के अन्तर्गत प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) के अन्तर्गत पूंजी की गणना के आधार पर की है।

तालिका : 27 (राशि लाख रूपये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **धारित पूंजी (Equity Held)** | | | |
| i. | वर्ष के प्रारंभ में | 132453.06 | 147553.06 | 159953.06 |
| ii | वर्ष के दौरान जोड़ी गई पूंजी | 15100.00 | 12400.00 | 11000.00 |
| iii. | वर्ष के अंत में | 147553.06 | 159953.06 | 170953.06 |
| iv | वर्ष के दौरान औसत | 140003.06 | 153753.06 | 165453.06 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) के अंतर्गत औसत पूंजी | 23151.81 | 25881.81 | 28221.81 |
| 3 | पूंजीकृत कार्यों पर नियोजित की गई औसत पूंजी | 116851.25 | 127871.25 | 137231.25 |
| 4 | 70:30 के अनुपात में अर्हकारी पूंजी अथवा वास्तविक, इनमें से जो भी कम हो | 116851.25 | 127871.25 | 137231.25 |
| 5 | पूंजी पर प्रतिलाभ दर | 17.66% | 17.66% | 17.66% |
| 6 | पूंजी पर प्रतिलाभ (ROE) | 20640.60 | 22587.18 | 24240.53 |

अतः नियंत्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2009–10, वित्तीय वर्ष 2010–11, तथा वित्तीय वर्ष 2011–12, हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ क्रमशः रू. 206.40 करोड़, रू 225.87 करोड़ तथा रू. 242.40 करोड़ अनुमोदित किया जाता है।

## ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार

### याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

### अंतिम प्रारंभिक तुलन पत्र के अनुसार अन्तरित किये गये ऋण

2.42 राज्य शासन द्वारा दिनांक 31.05.05 को अधिसूचित अंतिम प्रारंभिक तुलन पत्र (Final Opening Balance Sheet) में, जैसा कि इसका उल्लेख इस याचिका के पैरा 1.6 में किया गया है, रू. 1313.22 करोड़ की पूंजीगत ऋण राशि दर्शाई गई थी। एमपीपीटीसीएल (जनको) की पाद–टिप्पणी (फुट नोट) के अनुसार रू. 5.53 करोड़ का एक अतिरिक्त ऋण भी अन्तरित किया गया है। इस ऋण का उल्लेख निम्न उप–शीर्षों के अन्तर्गत किया गया है।

तालिका : 28

| | | |
|---|---|---|
| i. | म.प्र. शासन से ऋण | रू. 473.05 करोड़ |
| ii. | पूंजीगत दायित्व (Capital Liabilities) | रू. 572.27 करोड़ |
| iii. | पूंजीगत दायित्वों पर देय भुगतान | रू. 267.90 करोड़ |

| | | |
|---|---|---|
| iv. | एमपीपीजीएल से ऋण | रू. 5.53 करोड़ |
| **योग** | | **रू. 1318.75 करोड़** |

इसके सहायक विवरण दिनांक 31.05.05 की स्थिति में, ऋण दायित्वों का वर्गीकरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध करते हैं :

**तालिका : 29** (राशि करोड़ रूपये में)

| सरल क्रमांक | स्त्रोत | मूलधन जो देय नहीं | मूलधन जो देय है | देय ब्याज | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राज्य शासन (एडीबी) | 208.44 | 0.00 | 0.00 | 208.44 |
| 2 | राज्य शासन (नाबार्ड) | 76.19 | 12.15 | 0.00 | 88.34 |
| 3 | राज्य शासन (सामान्य) | 28.77 | 2.15 | 0.00 | 30.92 |
| 4 | राज्य शासन (बाजार बंध पत्र) (Market Bonds) | 159.65 | 12.00 | 0.00 | 171.65 |
| **ए** | **राज्य शासन (योग)** | **473.05** | **26.30** | **0.00** | **499.35** |
| 5 | पीएफसी से ऋण | 309.91 | 0.00 | 0.00 | 309.91 |
| 6 | साडा से ऋण | 7.20 | 4.80 | 3.03 | 15.03 |
| 7 | बंध पत्र तथा ऋण पत्र (Bonds & debentures) | 255.16 | 118.42 | 115.35 | 488.93 |
| **बी** | **पूंजीगत दायित्व (Capital Liabilities)** | **572.27** | **123.22** | **118.38** | **813.87** |
| 8 | एमपीपीजीसीएल से ऋण | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 5.53 |
| **सी** | **एमपीपीजीसीएल** | **5.53** | **0.00** | 0.00 | **5.53** |
| **डी** | **कुल ऋण (ए+बी+सी)** | **1050.85** | **149.52** | **118.38** | **1318.75** |

**दिनांक 1.6.05 से 31.3.09 के मध्य ऋणों में परिवर्तन**

2.43 उपरोक्त दर्शाई गई अवधि में, एमपीपीटीसीएल ने पीएफसी, एडीबी, केनरा बैंक से अतिरिक्त ऋण प्राप्त किया तथा इस ऋण में से कुछ राशि की अदायगी भी की है। साडा से प्राप्त ऋण की राशि की अदायगी की जा चुकी है। ऋण प्राप्ति एवं अदायगी के विवरण पूर्व में प्रेषित की गई याचिकाओं में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। दिनांक 31.3.08 की स्थिति में, अंकेक्षित लेखे के अनुसार बकाया ऋण की राशि रू. 2016.67 करोड़ थी। दिनांक 31.3.08 की स्थिति में, रू. 2016.67 करोड़ के ऋण के विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

**तालिका : 30** (राशि लाख रूपये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | मूलधन की राशि जो देय नहीं है | मूलधन की राशि जो देय है | ब्याज की देय राशि | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| | **घरेलू ऋण –** | | | | |
| ए–1 | पीएफसी से ऋण–प्रतिभूत (secured) | 5640.47 | 0.00 | 0.00 | 5640.47 |
| ए–2 | पीएफसी से ऋण–अप्रतिभूत | 42546.45 | 0.00 | 0.00 | 42546.45 |

| सरल क्रमांक | विवरण | मूलधन की राशि जो देय नहीं है | मूलधन की राशि जो देय है | ब्याज की देय राशि | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| | (unsecured) | | | | |
| ए–3 | केनरा बैंक से ऋण | 2425.00 | 0.00 | 0.00 | 2425.00 |
| ए–4 | बंध पत्र तथा ऋण पत्र (Bonds & Debentures) | 634.97 | 31495.91 | 23115.05 | 55245.93 |
| ए–5 | एमपीजनको | 553.00 | - 0.31 | 0.00 | 552.69 |
| **ए** | **योग–ए** | **51799.89** | **31495.60** | **23115.05** | **106410.54** |
| **1** | **राज्य शासन ऋण –** | | | | |
| बी–1 | प्रत्यक्ष ऋण | 1163.73 | 465.49 | 356.69 | 1985.91 |
| बी–2 | एडीबी 1869 | 35524.87 | 1758.84 | 9056.41 | 46340.12 |
| सी–3 | मप्र शासन–एडीबी 2323 | 4436.58 | 0.00 | 103.03 | 4539.61 |
| बी–4 | मप्र शासन–एडीबी 2346 | 2986.02 | 0.00 | 57.75 | 3043.77 |
| बी–5 | नाबार्ड | 4214.87 | 5070.29 | 3130.43 | 12415.59 |
| बी–6 | सामान्य ऋण | 2735.50 | 355.87 | 991.85 | 4083.22 |
| बी–7 | बाजार बंध पत्र (Market Bonds) | 12002.93 | 5162.57 | 5683.08 | 22848.58 |
| | **योग–बी** | **63064.50** | **12813.06** | **19379.24** | **95256.80** |
| | **योग (ए+बी)** | **114864.39** | **44308.66** | **42494.29** | **201667.34** |

**दिनांक 31.03.2009 की स्थिति में बकाया ऋण**

2.44 आवेदक ने दिनांक 10.10.08 को वर्ष 2007–08 हेतु प्रस्तुत की गई सत्यापन याचिका में दिनांक 31.03.09 की स्थिति में बकाया ऋणों हेतु कुछ आकलन तैयार किये हैं। आकलन तैयार करते समय, आवेदक वित्तीय संस्थाओं से ऋण की प्राप्ति का आकलन करते समय अनुदार (conservative) रहा है, जबकि वर्ष के दौरान एडीबी से रू. 388.58 करोड़ की राशि का उल्लेखनीय आहरण किया गया है। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु वास्तविक राशियों को सत्यापित किया जाना बाकी है, जिस हेतु आवेदन 15.10.2009 तक दाखिल किया जाना नियत किया गया है। तथापि, नवीन नियंत्रण अवधि बाबत्, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2011–12 हेतु आकलन तैयार किये जाने के प्रयोजन हेतु, आवेदक द्वारा वर्ष 2008–09 हेतु आकलनों में असरदार तालमेल (fine tuning) बिठाया गया है। इसके विवरण इस याचिका के प्ररूपों एफ–8 (अ) एवं एफ–8 (ब) में दिये गये हैं। दिनांक 31.03.2009 की स्थिति में बकाया ऋण आकलन निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

**तालिका : 31** (राशि लाख रूपये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | मूलधन की राशि जो देय नहीं है | मूलधन की राशि जो देय है | ब्याज की देय राशि | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| | **घरेलू ऋण –** | | | | |
| ए–1 | पीएफसी से ऋण | 22330.86 | 0.00 | 0.00 | 22330.86 |

| सरल क्रमांक | विवरण | मूलधन की राशि जो देय नहीं है | मूलधन की राशि जो देय है | ब्याज की देय राशि | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतिभूत (secured) | | | | |
| ए–2 | पीएफसी से ऋण अप्रतिभूत (unsecured) | 23401.95 | 0.00 | 0.00 | 23401.95 |
| ए–3 | केनरा बैंक से ऋण | 2425.00 | (-) 0.05 | 0.00 | 2424.95 |
| ए–4 | बंध पत्र तथा ऋण पत्र (Bonds & Debentures) | 8156.58 | 2136.81 | 3639.55 | 13932.94 |
| ए–5 | एमपीजनको | 552.69 | 0.00 | 0.00 | 552.69 |
| **ए** | **योग–ए** | **56867.08** | **2136.76** | **3639.55** | **62643.39** |
| **1** | **राज्य शासन ऋण –** | | | | |
| बी–1 | प्रत्यक्ष ऋण | 930.98 | 698.24 | 545.51 | 2174.73 |
| बी–2 | एडीबी 1869 | 34528.22 | 2759.63 | 13123.26 | 50411.11 |
| सी–3 | मप्रशासन–एडीबी 2323 | 17142.99 | 0.00 | 390.48 | 17533.47 |
| बी–4 | मप्रशासन–एडीबी 2346 | 30871.55 | 0.00 | 465.32 | 31336.87 |
| बी–5 | नाबार्ड | 2888.41 | 6396.74 | 4266.35 | 13551.50 |
| बी–6 | सामान्य ऋण | 2688.47 | 402.90 | 1396.38 | 4487.75 |
| बी–7 | बाजार बंधपत्र (Market Bonds) | 10379.58 | 6785.92 | 8032.78 | 25198.28 |
| | **योग–बी** | **99430.20** | **17043.43** | **28220.08** | **144693.71** |
| | **योग (ए+बी)** | **156297.28** | **19180.19** | **31859.63** | **207337.10** |

## ऋणों के मुख्य स्त्रोत

2.45 एमपीपीटीसीएल मुख्य निर्माण कार्यों की योजना का निष्पादन एडीबी, पीएफसी, नाबार्ड, केनरा बैंक, आदि से ऋण प्राप्ति द्वारा राज्य शासन से प्राप्त पूंजी की सहायता (Equity Support) से कर रही है। काफी बड़ी संख्या में पुरानी परिसम्पत्तियां अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्र के माध्यम से एमपीपीटीसीएल को राज्य शासन से प्राप्त किये गये ऋणों एवं बन्ध पत्रों व ऋण पत्रों के माध्यम से प्राप्त की गई धन राशि के माध्यम से अन्तरित की जा चुकी हैं। साडा ग्वालियर से प्राप्त एक लघु ऋण की अदायगी पूर्व में ही की जा चुकी है। ब्याज दर तथा ऋण अदायगी की संक्षेप अनुसूची निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

**तालिका–32 :**

| सरल क्रमांक | स्त्रोत/योजना | औसत ब्याज दर | अदायगी की निर्धारित अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | एडीबी–I योजना 1869 (राज्य शासन के माध्यम से) | 10.5% | (i) 15 बराबर वार्षिक किस्तों में, 5 वर्षों के विलम्बन (Moratorium) के पश्चात् तथा<br>(ii) 50% राशि हेतु 5 वर्ष का विलंबन तथा 50% राशि हेतु 20 वार्षिक किस्तों में |
| 2 | एडीबी योजना 2323 (राज्य | 5.27% | वर्ष 2012–13 से 40 बराबर अर्द्धवार्षिकी किस्तों |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | शासन के माध्यम से) | | में |
| 3 | एडीबी योजना 2346 (राज्य शासन के माध्यम से) | 4.67% | वर्ष 2012–13 से 40 बराबर अर्द्धवार्षिकी किस्तों में |
| 4 | राज्य शासन प्रत्यक्ष | 10.5% | ऋण स्वीकृति तिथि से ऋण की अदायगी 7 वर्षों में |
| 5 | राज्य शासन नाबार्ड | 11.25% | ऋण स्वीकृति तिथि से ऋण की अदायगी 7 वर्षों में |
| 6 | राज्य शासन सामान्य | 12.69% | स्वीकृति दिनांक से ऋण की अदायगी 10 वर्षों में |
| 7 | राज्य शासन बाजार बन्ध पत्र (Market Bonds) | 12.34% | स्वीकृति दिनांक से ऋण की अदायगी 10 वर्षों में |
| 8 | पीएफसी अप्रतिभूत (unsecured) | 11.24% | 40/20 त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक किस्तों में, 3 वर्ष के विलंबन (Moratorium) के पश्चात् |
| 9 | पीएफसी प्रतिभूत (Secured) | 11.96% | 40/20 त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक किस्तों में, 3 वर्ष के विलंबन (Moratorium) के पश्चात् |
| 10 | बन्ध–पत्र एवं ऋण पत्र | 13.27% | – |
| 11 | एमपी जनको | 9.45% | वर्ष 2014 से प्रारंभ 15 किस्तों में |
| 12 | केनरा बैंक | 10.75% | 40 त्रैमासिक किस्तों में |
| 13 | एडीबी–III योजना हेतु प्रत्याशित गठबंधन तथ अन्य ऋण (अपेक्षित) | 8.00% (आकलित) | गठबंधन होना है |

## विनियम संबंधी प्रावधान

2.46 बहुवर्षीय टैरिफ विनियम के अंतर्गत कंडिका 24 में प्रावधान है कि :

*विनियम 20 में दर्शाई गई विधि अनुसार गणना किये गये ऋण, ऋण पर ब्याज की सकल मानदण्डीय ऋण की गणना किये गये माने जाएंगे ।*

*दिनांक 1.4.2009 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2009 तक सकल मानदण्डीय ऋण में से संचिति (Cumulative) अदायगी को घटाकर की जाएगी ।*

*टैरिफ अवधि 2009–12 के प्रत्येक वर्ष हेतु अदायगी को उक्त वर्ष हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा ।*

*पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भले ही कोई भी विलम्बकाल अवधि (Moratorium period) का लाभ लिया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वार्षिक अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के समतुल्य होगा ।*

*ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर के बराबर होगी, जिसकी गणना, परियोजना हेतु प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में वास्तविक ऋण की श्रेणी (Portfolio) के आधार पर की जाएगी।*

*बशर्ते यह कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष में कोई वास्तविक ऋण लंबित न हो, परन्तु मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी।*

*बशर्ते यह भी कि यदि पारेषण प्रणाली में वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की भारित औसत ब्याज दर समग्र रूप से मानी जाएगी।*

*ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत ऋण पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी ।*

*पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऋण की पुनर्वित्त (Refinance) व्यवस्था हेतु समस्त प्रयास करेगा, जब तक यह ब्याज पर सकल लाभ में परिणत हो तथा ऐसी दशा में ऐसी पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु संबद्ध लागतों को हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा। तथा इस प्रकार की सकल बचत को हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की गई सकल बचत को हितग्राहियों तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य 2:1 के अनुपात में वितरित किया जाएगा ।*

*ऋणों में की गई निबंधन तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार पुनर्वित्त व्यवस्था की तिथि से दर्शाया जाएगा । किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम, 2004, जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया जाए, के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :*

*बशर्ते पारेषण क्रेताओं द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज के कारण किसी प्रकार के भुगतान को ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था से उद्‌भूत किसी विवाद के प्रतितोषण की प्रत्याशा में रोका न जाएगा।*

## आयोग का विश्लेषण

2.47 शासन ने दिनांक 1.6.2005 की स्थिति में अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्रक को दिनांक 12.6.2008 को अधिसूचित किया है। एमपीपीटीसीएल ने इस बीच विभिन्न लेन–देन (Transactions) किये हैं तथा दिनांक 31.3.2009 की स्थिति में अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार कुल ऋण दायित्व रू. 2073.37 करोड़ हैं। जिनमें रू. 247.56 करोड़ के प्रतिभूत ऋण (Secured loans) तथा रू. 1825.81 करोड़ के अप्रतिभूत ऋण (unsecured loans) शामिल हैं। याचिका के पैरा 8.2.1 में एमपीपीटीसीएल ने उल्लेख किया है कि दिनांक 31.03.2009 की स्थिति में ऋण के विवरण निम्नानुसार है :

**तालिका : 33** (राशि लाख रूपये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | मूलधन की राशि जो देय नहीं है | मूलधन की राशि जो देय है | ब्याज की देय राशि | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| | **घरेलू ऋण –** | | | | |
| ए–1 | पीएफसी से ऋण प्रतिभूत (secured) | 22330.86 | 0.00 | 0.00 | 22330.86 |
| ए–2 | पीएफसी से ऋण अप्रतिभूत (secured) | 23401.95 | 0.00 | 0.00 | 23401.95 |
| ए–3 | केनरा बैंक से ऋण | 2425.00 | (-) 0.05 | 0.00 | 2424.95 |
| ए–4 | बंधपत्र तथा ऋण पत्र (Bonds & Debendtures) | 8156.58 | 2136.81 | 3639.55 | 13932.94 |
| ए–5 | एमपीजनको | 552.69 | 0.00 | 0.00 | 552.69 |
| **ए** | **योग–ए** | **56867.08** | **2136.76** | **3639.55** | **62643.39** |
| **1** | **राज्य शासन ऋण** | | | | |
| बी–1 | प्रत्यक्ष ऋण | 930.98 | 698.24 | 545.51 | 2174.73 |
| बी–2 | एडीबी 1869 | 34528.22 | 2759.63 | 13123.26 | 50411.11 |
| सी–3 | मप्र शासन–एडीबी 2323 | 17142.99 | 0.00 | 390.48 | 17533.47 |
| बी–4 | मप्र शासन–एडीबी 2346 | 30871.55 | 0.00 | 465.32 | 31336.87 |
| बी–5 | नाबार्ड | 2888.41 | 6396.74 | 4266.35 | 13551.50 |
| बी–6 | सामान्य ऋण | 2688.47 | 402.90 | 1396.38 | 4487.75 |
| बी–7 | बाजार बंध पत्र | 10379.58 | 6785.92 | 8032.78 | 25198.28 |
| | **योग–बी** | **99430.20** | **17043.43** | **28220.08** | **144693.71** |
| | **योग (ए+बी)** | **156297.28** | **19180.19** | **31859.63** | **207337.10** |

2.48 एमपीपीटीसीएल ने घरेलू ऋणों, बन्ध–पत्रों तथा वित्तीय पट्टेदारी (Financial leasing) तथा राज्य शासन से ऋण के विवरण प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि इसे याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के प्ररूप 8ए तथा 8बी में दर्शाया गया है। यह विवरण वित्तीय वर्ष 2008–09 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 31.3.2009 की स्थिति में प्ररूप 8बी में दर्शाई गई रू. 2073.37 करोड़ की कुल अन्तिम राशि वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंकेक्षित तुलन पत्र में उल्लेखित कुल ऋण दायित्वों से मेल खाती है। नियंत्रण अवधि हेतु भारित औसत ब्याज दर निम्नानुसार है :

**तालिका : 34** (राशि लाख रूपये में)

| सरल क्रमांक | ऋण का स्त्रोत | ब्याज दर | 2009–10 | | 2010–11 | | 2011–12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ऋण | ब्याज | ऋण | ब्याज | ऋण | ब्याज |
| 1 | राज्य शासन प्रत्यक्ष | 10.50% | 930.98 | 97.75 | 697.98 | 73.28 | 464.98 | 48.83 |
| 2 | एडीबी 1869 | 10.50% | 34528.22 | 3625.46 | 33453.22 | 3512.59 | 31847.32 | 3343.97 |
| 3 | एडीबी 2323 | 5.27% | 17142.99 | 903.44 | 34142.99 | 1799.34 | 46642.99 | 2458.09 |
| 4 | एडीबी .2346 | 4.67% | 30871.55 | 1441.70 | 53871.55 | 2515.80 | 71371.55 | 3333.05 |
| 5 | नाबार्ड | 11.25% | 2888.41 | 324.95 | 1562.41 | 175.77 | 236.41 | 26.60 |
| 6 | सामान्य ऋण | 12.69% | 2688.47 | 341.17 | 2641.47 | 335.20 | 2573.47 | 326.57 |
| 7 | बाजार–बंधपत्र | 12.34% | 10379.58 | 1280.84 | 8756.58 | 1080.56 | 7133.58 | 880.28 |
| 8 | नवीन एडीबी /अन्य | 8.00% | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 560.00 | 28100.00 | 2248.00 |
| 9 | पीएफसी (प्रतिभूत) | 11.96% | 22330.86 | 2670.77 | 24710.86 | 2955.42 | 26771.06 | 3201.82 |
| 10 | पीएफसी (अप्रतिभूत) | 11.24% | 23401.95 | 2630.38 | 28745.95 | 3231.04 | 32171.42 | 3616.07 |
| 11 | केनरा बैंक | 10.75% | 2425.00 | 260.68 | 3664.00 | 393.88 | 3421.00 | 367.76 |
| 12 | बन्ध पत्र तथा ऋण पत्र | 13.27% | 8156.58 | 1082.38 | 8156.58 | 1082.38 | 8156.58 | 1082.38 |
| 13 | एमपीजनको | 9.45% | 552.69 | 52.23 | 552.69 | 52.23 | 552.69 | 52.23 |
| 14 | **योग** | **-** | **156297.28** | **14711.75** | **207956.28** | **17767.49** | **259442.20** | **20985.65** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **भारित औसत ब्याज दर** | 14711.25 / 156297.28 | x 100 | = 9.41% | 17767.49 / 207956.28 | x 100 | = 8.55% | 20985.65 / 259442.20 | x 100 | = 8.09% |

तीन वर्षों हेतु भारित औसत ब्याज दर निम्नानुसार दर्शाई गई है :

(i) वित्तीय वर्ष 2009–10 – 9.41%
(ii) वित्तीय वर्ष 2010–11 – 8.55%
(iii) वित्तीय वर्ष 2011–12 – 8.09%

नवीन नियंत्रण अवधि बाबत् मूलधन जो देय नहीं है तथा तत्संबंधी ब्याज के विवरण निम्नानुसार दर्शाये गये हैं, जो कि इस आदेश के पैरा 2.14 के अन्तर्गत तालिका 16 के अनुसार वर्ष के दौरान प्राप्त किये ऋणों तथा अनुमोदित सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में आकलित अभिवृद्धि पर आधारित हैं:

**तालिका : 35** (राशि लाख रूपये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 |
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में मूलधन की राशि जो देय नहीं है | 156297.28 | 175067.3 | 184631.28 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया ऋण | 35200.00 | 28900.00 | 25700.00 |
| 3 | अवमूल्यन के बराबर सैद्धान्तिक (Notional) अदायगी | 16430.00 | 19336.00 | 20912.00 |
| 4 | वर्ष के अंत में मूलधन की राशि जो देय नहीं है (1+2–3) | 175067.28 | 184631.3 | 189419.28 |
| 5 | वर्ष के दौरान औसत मूलधन की राशि जो देय नहीं है (1+4–2) | 165682.28 | 179849.3 | 187025.28 |
| 6 | भारित औसत ब्याज दर | 9.41% | 8.55% | 8.09% |
| 7 | वर्ष के दौरान ब्याज | 15590.70 | 15377.11 | 15130.35 |

2.49 वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अंकेक्षित लेखों में निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) रू. 721.73 करोड़ दर्शाया गया है। आयोग द्वारा अनुमोदित सकल स्थाई परिसम्पत्ति, ऋण, पूंजी (इक्विटी), सकल स्थाई परिसम्पत्ति के पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर विचार करते हुए निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) किये गये आकलन निम्नानुसार हैं :

**तालिका : 36** (राशि लाख रूपये में)

| सरल क्रमांक | दिनांक | बकाया ऋण / प्रावधानित (Provisioning) | बकाया पूंजी (इक्विटी) | अंकेक्षित लेखों के अनुसार शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां | शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां / लाभ–हानि | निर्माण कार्य प्रगति पर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04.09 | 217664.13 | 132453.06 | 207694.17 | 70250.32 | 72172.7 |
| 2 | 01.04.10 | 252897.46 | 147553.06 | 231563.73 | 86714.09 | 82172.7 |
| 3 | 01.04.11 | 281830.80 | 159953.06 | 245328.04 | 106083.12 | 90372.7 |
| 4 | 01.04.12 | 307497.46 | 170953.06 | 253715.80 | 126962.03 | 97772.7 |

**वर्ष के दौरान औसत निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) तथा इसका वित्तीय प्रबंधन निम्नानुसार आकलित किया गया है :**

**तालिका : 37** (राशि लाख रूपये में)

| सरल क्रमांक | वर्ष | वर्ष के दौरान औसत प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) | ऋण के विरूद्ध प्रगति पर निर्माण कार्य | पूंजी के विरूद्ध प्रगति पर निर्माण कार्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-10 | 77172.7 | 54020.89 | 23151.81 |
| 2 | 2010-11 | 86272.7 | 60390.89 | 25881.81 |
| 3 | 2011-12 | 94072.7 | 65850.89 | 28221.81 |

यहां यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) का वित्तीय प्रबंधन उक्त वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये ऋण/पूंजी में से किया जाता है। अतएव भारित औसत ब्याज दर अलग होगी, जैसा कि इसकी गणना निम्नानुसार की गई है तथा जिसे प्रक्षेपण हेतु अपनाया गया है। इसका सही मूल्य इन वर्षों के सत्यापन के दौरान दर्शाया जाएगा। परन्तु इस आदेश के प्रयोजन हेतु, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्याज दर (जैसी कि यह नीचे दर्शाई गई है) को ही माना गया है।

**तालिका : 38** (राशि करोड़ रूपये में)

| सरल क्रमांक | ऋण का स्त्रोत | ब्याज दर | 2009–10 | | 2010–11 | | 2011–12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ऋण | ब्याज | ऋण | ब्याज | ऋण | ब्याज |
| 1 | एडीबी 2323 | 5.27% | 170.00 | 8.96 | 125.00 | 6.58 | 75.00 | 3.95 |
| 2 | एडीबी 2346 | 4.67% | 230.00 | 10.74 | 175.00 | 8.17 | 15.00 | 0.70 |
| 3 | अन्य | 8.00% | 70.00 | 5.60 | 211.00 | 16.88 | 439.00 | 35.12 |
| 4 | पीएफसी (प्रतिभूत) | 11.96% | 32.00 | 3.83 | 30.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | पीएफसी (अप्रतिभूत) | 11.24% | 112.00 | 12.58 | 95.00 | 10.68 | 100.00 | 11.24 |
| 6 | केनरा बैंक | 10.75% | 13.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | **योग** | **-** | **627.00** | **43.11** | **636.00** | **45.89** | **629.00** | **51.01** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **औसत भारित ब्याज दर** | 43.11 / 627.00 | x 100 | = 6.87% | 45.89 / 636.00 | x 100 | = 7.21% | 51.01 / 629.00 | x 100 | = 8.10% |

2.50 नियंत्रण अवधि के अन्तर्गत, निर्माण के दौरान ब्याज (Interest During Construction-IDC) की गणना निम्नानुसार की गई है:

**तालिका : 39** (राशि लाख रूपये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ऋण के विरूद्ध औसत निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) | 54020.89 | 60390.89 | 65850.89 |
| 2 | ऋण की श्रेणी (Porfolio) के अनुसार ब्याज दर | 6.87% | 7.21% | 8.10% |
| 3 | निर्माण के दौरान ब्याज (IDC) | 3711.24 | 4354.18 | 5333.92 |

II-52 एमपीपीटीसीएल द्वारा यह माना गया है कि वह 30% पूंजी (इक्विटी) की व्यवस्था नहीं कर पायेगी। अतः उसके द्वारा मानदण्डीय ऋण पर ब्याज का भी दावा किया गया है। तथापि, आयोग यहां जोर देना चाहता है कि एमपीपीटीसीएल को 30% की दर से पूंजी (इक्विटी) की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए, तथा इस हेतु यदि कोई समायोजन किया जाना है, तो इसे तत्संबंधी वर्ष के सत्यापन के दौरान संव्यवहारित किया जाएगा। अतः इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन हेतु ट्रांसको द्वारा मानदण्डीय

ऋण पर ब्याज हेतु किये गये दावे के संबंध में किसी भी राशि को अनुज्ञेय नहीं किया गया है। ऋणों पर ब्याज का अनुमोदन निम्नानुसार किया गया है :

**तालिका : 40** (राशि लाख रूप्ये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ऋण पर ब्याज (मूलधन देय नहीं है) | 15590.7 | 15377.11 | 15130.35 |
| 2 | मानदण्डीय ऋण पर ब्याज (पूंजी से) | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **योग** | **15590.7** | **15377.11** | **15130.35** |
| 4 | घटायें : निर्माण के दौरान ब्याज | 3711.24 | 4354.18 | 5333.92 |
| 5 | **शुद्ध ब्याज का दावा** | **11879.46** | **11022.93** | **9796.43** |

नियंत्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2009–10, वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु क्रमशः रू. 118.79 करोड़, रू. 110.23 करोड़ तथा रू. 97.96 करोड़ का ऋण अनुमोदित किया जाता है।

## मानदण्डीय ऋण तथा उन पर ब्याज (Normative loans & interest thereon)

II-52 इस आदेश के अन्तर्गत अनुमोदित की गई सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA), पूंजी (Equity) तथा निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) विचार करते हुए मानदण्डीय ऋण तथा उस पर ब्याज की गणना निम्नानुसार की गई है :

**तालिका : 41** (राशि लाख रूप्ये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय व र्ा 2009–10 | वित्तीय व र्ा 2010–11 | वित्तीय व र्ा 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| I. | **सकल स्थाई परिसम्पत्तियां** | | | |
| i. | वर्ष के प्रारंभ में | 395413 | 435713 | 468813 |
| ii. | वर्ष के अंत में | 435713 | 468813 | 498113 |
| iii. | वर्ष के दौरान औसत | 415563 | 452263 | 483463 |
| II. | निर्माण कार्यों पर लगाई गई पूंजी की उच्चतम सीमा [(I (iii)का 30%)] | 124668.9 | 135678.9 | 145038.9 |
| III. | **धारित पूंजी (Equity Held)** | | | |
| i. | वर्ष के प्रारंभ में | 132453.06 | 147553.06 | 159953.06 |
| ii. | वर्ष के अंत में | 147553.06 | 159953.06 | 170953.06 |
| iii. | वर्ष के दौरान औसत | 140003.06 | 153753.06 | 165453.06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IV. | निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) के अंतर्गत औसत पूंजी (पैरा 8.8 के अंतर्गत तालिका से) | 23151.81 | 25881.81 | 28221.81 |
| V. | निर्माण कार्यों पर लगाई गई औसत पूंजी (Equity) [III(iii)-IV] | 116851.25 | 127871.25 | 137231.25 |
| VI. | मानदण्डीय ऋण (V-II) | 0 | 0 | 0 |
| VII. | ब्याज दर | 9.41% | 8.55% | 8.09% |
| VIII. | मानदण्डीय ऋण पर ब्याज | 0 | 0 | 0 |

जैसा कि उपरोक्त तालिका से अवलोकन किया जा सकता है, मानदण्डीय ऋण के रूप में शून्य ब्याज का अनुमोदन किया जाता है।

## कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)

### याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

2.53 विनियमों 38.1 तथा 28.1 के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना निम्नानुसार की गई है :

**तालिका : 42** (राशि लाख रूपये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | संधारण कलपुर्जे–संचालन तथा संधारण व्ययों का 15% | 3202.34 | 3680.14 | 4187.75 |
| 2 | एक माह के प्रचालन तथा संधारण व्यय | 1779.08 | 2044.52 | 2326.53 |
| 3 | प्राप्ति योग्य राशि–दो माह के पारेषण प्रभारों के बराबर | 18701.33 | 21763.17 | 24569.67 |
| 4 | कुल वांछित कार्यकारी पूंजी | 23682.75 | 27487.83 | 31083.94 |
| 5 | दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान ऋण प्रदाय दर (PLR) | 12.25% | 12.25% | 12.25% |
| 6 | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज | 2901.14 | 3367.26 | 3807.78 |

### विनियम के अंतर्गत प्रावधान

2.54 टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, कार्यकारी पूंजी में निम्न को सम्मिलित किया जाएगा :

(1) विनियम 37.1 में निर्दिष्टानुसार संधारण कल पुर्जे, प्रचालन एवं संधारण में व्ययों की 15% की दर से

(2) दो माह के पारेषण प्रभारों के बराबर प्राप्ति योग्य राशियां जिसकी गणना लक्ष्य उपलब्धता स्तर (Target Availability Level) पर की जाएगी।

(3) एक माह हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय

कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी गणना विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि द्वारा की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जाएगी तथा इसकी गणना भारतीय स्टेट बैंक की सुसंगत वर्ष की 1 अप्रैल को प्रयोज्य चालू अल्पावधि प्रधान ऋण प्रदाय दर (शार्ट–टर्म प्राईम लैंडिग रेट) की समतुल्य दर पर की जाएगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानकीकृत आधार पर देय होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाहरी संस्था से ऋण लिया हो अथवा कार्यकारी पूंजीगत ऋण मानकीकृत आंकडों के आधार से अधिक हो गया हो ।

### आयोग का विश्लेषण

2.55 विनियमों 38.1 तथा 28.1 के अनुसार गणना किये गये कार्यकारी पूंजी पर ब्याज को आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सुसंगत वर्ष की भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान ऋण प्रदाय पर ब्याज तथा अन्य विवरणों की पुनर्गणना सत्यापन के समय वास्तविक जानकारी के आधार पर की जाएगी। इसके विवरण निम्नानुसार हैं :

**तालिका : 43 :** (राशि करोड़ रूपये में)

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एक माह हेतु प्रचालन एवं संधारण प्रभार | 31.272 | 34.45 | 37.62 |
| 2 | संधारण कल पुर्जे, प्रचालन एवं संधारण के 15% की दर से | 17.37 | 19.14 | 20.90 |
| 3 | प्राप्ति योग्य राशियां–दो माह के बराबर | 172.18 | 134.46 | 141.94 |
| 4 | कार्यकारी पूंजी (Working Capital) | 12.25 | 12.25 | 12.25 |
| 5 | ब्याज दर (प्रधान ऋण प्रदाय दर (PLR) +1%) | 220.83 | 188.05 | 200.45 |
| 6 | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज | 27.05 | 23.04 | 24.56 |

वित्तीय वर्ष 2009–10, वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की राशि क्रमशः रू. 27.05 करोड़, रू. 23.04 करोड़, रू. 24.56 करोड़ का अनुमोदन किया जाता है।

## अवमूल्यन

### याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

2.56 याचिकाकर्ता ने नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु अवमूल्यन की दरों (Rates of depreciation), सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में अभिवृद्धि एवं अवमूल्यन के दावों को निम्नानुसार दाखिल किया है :

## अवमूल्यन की दरें

2.57 विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों के संबंध में अवमूल्यन की दरों का उल्लेख **परिशिष्ट–2** में किया गया है। ये दरें दिनांक 1.4.2009 को तथा तत्पश्चात् क्रियाशील की गई परिसम्पत्तियों को लागू होंगी। तथा ये दरें 12 वर्ष की अवधि हेतु लागू रहेंगी। बारह वर्ष की अवधि के उपरान्त, दिनांक 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन योग्य मूल्यांकन को परिसम्पत्ति के अवशेष उपयोगी जीवन काल में विस्तारित कर दिया जाएगा। विनियमों के **परिशिष्ट–2** में दर्शाई गई परिसम्पत्तियों को निम्न उल्लेखानुसार वर्गीकृत (उसी अवमूल्यन दर पर) किया जा सकता है :

**तालिका : 44**

| सरल क्रमांक | वर्ग | सम्मिलित की गई परिसम्पत्तियां | अवमूल्यन दर |
|---|---|---|---|
| 1 | अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में संयंत्र तथा मशीनरी | (i) ट्रांसफार्मर (ii) स्विचगिअर (iii) तड़ित चालक (iv) सिंक्रोनस कंडेंसर, (v) बैट्रियां (vi) भूमिगत केबलें तथा डक्ट प्रणाली (vii) मीटर (viii) वातानुकुलन संयंत्र (स्थिर) | 5.28% |
| 2 | अति उच्च दाब उपकेन्द्रों तथा कालोनियों में भवन तथा सिविल कार्य | (i) भूमि में निवेश<br>(ii) स्थल की सफाई<br>(iii) कार्यालय एवं शोरूम<br>(iv) सड़कें | 3.34% |
| 3 | अति उच्च दाब तन्तु पथ (लाईने) | फेब्रीकेटेड इस्पात अवलंबों पर शिरोपरि तन्तु पथ जो 66 केवी तक तथा इससे अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित किये जाते हैं | 5.28% |
| 4 | वाहन | स्वचालित वाहन | 9.50% |
| 5 | कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरण | सूचना प्रौद्यौगिकी उपकरण | 15.00% |
| 6 | कार्यालयीन उपकरण | (i) कार्यालयीन उपकरण<br>(ii) फिटिंग्स | 6.33% |
| 7 | कार्यालयीन फर्नीचर | कार्यालयीन फर्नीचर तथा फर्निशिंग | 6.33% |
| 8 | संचार उपकरण | (i)रेडियो तथा उच्च आवृत्ति (Frequency) संवाहक प्रणाली<br>(ii) दूरभाष की लाईनें तथा दूरभाष | 6.33% |

## नवीन नियंत्रण अवधि हेतु सकल स्थाई सम्पत्तियां तथा अवमूल्यन

2.58 एमपीपीटीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2009–10, वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु क्रमशः रू. 1280 करोड़, रू. 1300 करोड़ तथा रू. 1285.40 करोड़ के नियोजन का प्रावधान किया है। इस योजना प्रावधान के विरूद्ध निधि की प्राप्ति क्रमशः रू. 896 करोड़, रू. 910 करोड़, तथा

रू. 899 करोड़ अपेक्षित है। जैसा कि इसका उल्लेख याचिका के पैरा 4.8 में किया गया है। प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) के अंतर्गत कतिपय निधियों पर विचार करते हुए, नियंत्रण अवधि के वर्षों के दौरान प्रत्याशित पूंजीकरण को याचिका के प्रारूप क्रमांक 7 में प्रस्तुत किया गया है। इसे वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्ति के संबंध में रू. 3954.13 करोड़ निम्नानुसार दर्शाया गया है :

**तालिका : 45** (राशि करोड़ रूपये में)

| सरल क्रमांक | वर्ष | सकल स्थाई परिसम्पत्तियां | | |
|---|---|---|---|---|
| | | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान की गई अभिवृद्धि | वर्ष के अंत में |
| 1 | 2009-10 | 3954.13 | 768.00 | 4722.13 |
| 2 | 2010-11 | 4722.13 | 780.00 | 5502.13 |
| 3 | 2011-12 | 5502.13 | 771.00 | 6237.13 |

योजना कार्य का निष्पादन तथा संबंद्ध पूंजीकरण प्रत्येक वर्ष के दौरान अंकेक्षित लेखों के आधार पर ''सत्यापन'' के अध्यधीन है।

**नियंत्रण अवधि के दौरान किया गया अवमूल्यन दावा**

2.59 उपरोक्त के आधार पर, प्रति वर्ष जोड़ी गई परिसम्पत्तियों में की गई अभिवृद्धि के विवरण, आदेय (chargeable) अवमूल्यन तथा शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां (Net Fixed Assets) प्रत्येक वर्ष हेतु याचिका के साथ संलग्न प्रारूप एफ–7 में दर्शाये गये हैं। इन्हें नियंत्रण अवधि के तीन वर्षों हेतु निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है :

**तालिका : 46** (राशि करोड़ रूपये में)

| वर्ष | सकल स्थाई परिसम्पत्तियां | | | अवमूल्यन हेतु प्रावधान | | | शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान जोड़ी गई | वर्ष के अंत में | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान जोड़ी गई | वर्ष के अंत में | वर्ष के दौरान जोड़ी गई | वर्ष के अंत में |
| 2009-10 | **3954.13** | **768.00** | **4722.13** | **1459.58** | **171.52** | **1631.10** | **2494.55** | **3091.03** |
| 2010-11 | **4722.13** | **780.00** | **5502.13** | **1631.10** | **218.56** | **1849.66** | **3091.03** | **3652.47** |
| 2011-12 | **5502.13** | **771.00** | **6273.13** | **1849.66** | **254.67** | **2104.33** | **3652.47** | **4168.80** |

**अदायगी संबंधी दायित्व तथा अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम (Repayment Liabilities and AAD)**

2.60 तीन वर्षों के दौरान ऋणों की अदायगी संबंधी विवरण प्रारूप एफ–8 (ए) तथा (बी) में दर्शाए गए हैं। चूंकि राष्ट्रीय टैरिफ नीति तथा पारेषण टैरिफ विनियमों में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम (Advance Against Depreciation - AAD) में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, अतः नियंत्रण अवधि के दौरान अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

**नियंत्रण अवधि हेतु अवमूल्यन का दावा**

2.61 याचिका के पैरा 7.7 में दी गई तालिका के उल्लेखानुसार, याचिकाकर्ता ने आयोग को तीन वर्षों हेतु अवमूल्यन दावों को निम्नानुसार अनुज्ञेय किये जाने का निवेदन किया है :

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | वित्तीय वर्ष 2009–10 | – | रू. 171.52 करोड़ |
| (ii) | वित्तीय वर्ष 2010–11 | – | रू. 218.56 करोड़ |
| (iii) | वित्तीय वर्ष 2011–12 | – | रू. 254.67 करोड़ |

**विनियमों में प्रावधान**

2.62 विनियमों की कंडिका 25.1 में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं :

*''टैरिफ के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन की गणना निम्न विधि द्वारा की जाएगी :*

*(ए) अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु आधार मूल्य परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत होगी, जैसा कि आयोग द्वारा इसे अनुज्ञेय किया जाए ।*

*(बी) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा की निधि की प्राप्ति (फंडिग) सम्मिलित होगी जिसे कि वास्तविक तिथि को प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर प्रचलित विनिमय दर पर समतुल्य रूपयों में परिवर्तित किया जाएगा ।*

*(सी) परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य (Salvage Value) 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा अवमूल्यन को परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुज्ञेय किया जाएगा ।*

*(डी) पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यन–योग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत में से कम कर दिया जाएगा ।*

*(ई) अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष ''सरल रेखा विधि (Straight Line Method)'' के आधार पर पारेषण प्रणाली की परिसम्पत्तियों हेतु **परिशिष्ट–2** में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी।*

*बशर्ते यह कि वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन–योग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवन काल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा ।*

*बशर्ते यह भी कि परिसम्पत्ति के सृजन हेतु उपभोक्ता का अंशदान अथवा पूंजीगत सहायतानुदान/अनुदान आदि को लेखांकन नियम, जो कि समय–समय पर अधिसूचित कर लागू किये जाएंगे, के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा ।*

*(एफ) विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में, दिनांक 1.4.2009 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना, आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2009 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यन योग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को **परिशिष्ट–2** में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा, जब तक संचयी अवमूल्यन 70% तक पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात्, अवशेष अवमूल्यन योग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा। ताकि अधिकतम अवमूल्यन की 90% से अधिक बढ़ोत्तरी न हो।*

*(जी) अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभार–योग्य होगा। परिसम्पत्ति का वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के किसी एक अंश हेतु होने की दशा में अवमूल्यन को आनुपातिक दर (Prorata) पर प्रभारित किया जाएगा ।*

## आयोग का विश्लेषण

2.63 याचिका के पैरा 7.3 में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि पुनर्मिलान (reconciliation) का कार्य अभी भी प्रगति पर है। एमपीपीटीसीएल ने निवेदन किया है कि टैरिफ विनियमों के अनुसार दावा किया गया अवमूल्यन (आयोग द्वारा पारित किये गये सत्यापन आदेश) जो कि कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है, निम्नानुसार है :

**तालिका : 47** (राशि करोड़ रूपये में)

| स. क्रं. | विवरण | दिनांक 1.6.2005 की स्थिति में | दिनांक 31.3.2006 की स्थिति में | दिनांक 31.3.2007 की स्थिति में | दिनांक 313.2008 की स्थिति में | दिनांक 31.3.2009 की स्थिति में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) | 2932.75 | 3092.46 | 3341.55 | 3575.99 | 3954.13 |
| 2 | संचयी अवमूल्यन | 1088.06 | 1173.14 | 1262.2 | 1359 | 1459.58 |
| 3 | वर्ष के दौरान अवमूल्यन | - | 12 माह हेतु रू. 85.08 तथा रू. 70.90 दस माह हेतु | 89.06 | 96.80 | 100.58 |

2.64 याचिका के पैरा 7.7 में, एमपीपीटीसीएल ने अवमूल्यन का दावा निम्नानुसार किया है :

**तालिका : 48** (राशि करोड़ रूपये में)

| वर्ष | सकल स्थाई परिसम्पत्तियां | | | अवमूल्यन हेतु प्रावधान | | | शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान जोड़ी गई | वर्ष के अंत में | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान जोड़ी गई | वर्ष के अंत में | वर्ष के प्रारंभ मैं | वर्ष के अंत में |
| 2009-10 | **3954.13** | **768.00** | **4722.13** | **1459.58** | **171.52** | **1631.10** | **2494.55** | **3091.03** |
| 2010-11 | **4722.13** | **780.00** | **5502.13** | **1631.10** | **218.56** | **1849.66** | **3091.03** | **3652.47** |
| 2011-12 | **5502.13** | **771.00** | **6273.13** | **1849.66** | **254.67** | **2104.33** | **3652.47** | **4168.80** |

2.65 वित्तीय वर्ष 2007–08 के सत्यापन आदेश के अंतर्गत आयोग का कथन है कि *''अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्र के अनुसार दिनांक 1.6.2005 की स्थिति में संचयी अवमूल्यन रू. 1206 करोड़ था। जबकि याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.6.09 के अपने नए अनुपूरक प्रस्तुतिकरण में संचित अवमूल्यन की राशि दिनांक 31.3.2005 की स्थिति में रू. 1088 करोड़, दिनांक 31.3.2006 की स्थिति में रू. 1173 करोड़, दिनांक 31.3.2007 की स्थिति में रू. 1262 करोड़ तथा दिनांक 31.3.2008 की स्थिति में रू. 1359 करोड़ होना सूचित किया है। याचिकाकर्ता ने यह भी निवेदन किया है कि अवमूल्यन के प्रकरण में पुनर्मिलान (reconciliation) की प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है। वर्तमान में, आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आकड़ों को मान्य कर रहा है। तथापि, एमपीपीटीसीएल को अवमूल्यन आंकड़ों का पुनर्मिलान किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं, तथा इन्हें आगामी सत्यापन प्रस्तुति से पूर्व दायर किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।''*

2.66 विषय वस्तु संबंधी याचिका की आगामी नियंत्रण अवधि हेतु अनुमोदन करते हुए, आयोग द्वारा निम्न पहलुओं पर विचार किया गया है :

(i) एमपीपीटीसीएल द्वारा अवमूल्यन आंकड़ों के पुनर्मिलान की प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है।
(ii) पूर्व के अभिलेखों से प्रकट होता है कि सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2008–09 के दौरान क्रमशः रू. 160 करोड़, रू. 249 करोड़, रू. 234 करोड़ तथा रू. 379 करोड़ की वृद्धि हुई है।
(iii) वित्तीय वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09, में अनुज्ञेय अवमूल्यन क्रमशः रू. 85.08 करोड़, रू. 89.06 करोड़, रू. 96.80 करोड़ तथा रू. 100.58 करोड़ रहा है।
(iv) अब, एमपीपीटीसीएल ने नियंत्रण अवधि में सकल स्थाई परिसम्पत्ति में रू. 768 करोड़, रू. 780 करोड़ तथा रू. 771 करोड़ में अभिवृद्धि का तथा अवमूल्यन में रू. 171.52 करोड़, रू. 218.56 करोड़ तथा रू. 254.67 करोड़ का आकलन किया है, जो कि एक अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रतीत होता है।

2.67 आयोग ने, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में वित्तीय वर्ष 2010–11, वित्तीय वर्ष 2011–12, तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 में क्रमशः रू. 403 करोड़, रू. 330 करोड़ तथा रू. 293 करोड़ में अभिवृद्धि पर विचार करते हुए, जैसा कि इसे इस आदेश के पैरा 2.14 की तालिका 16 में दर्शाया गया है, नियंत्रण अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान अवमूल्यन राशि की पुनर्गणना निम्नानुसार की गई है :

**तालिका : 49** (राशि करोड़ रूपये में)

| वर्ष | सकल स्थाई परिसम्पत्तियां | | | अवमूल्यन हेतु प्रावधान | | | शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान जोड़ी गई | वर्ष के अंत में | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान जोड़ी गई | वर्ष के अंत में | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के अंत में |
| 2009-10 | **3954.13** | **403** | **4357.13** | **1459.58** | **164.30** | **1623.88** | **2494.55** | **2733.25** |
| 2010-11 | **4357.13** | **331** | **4688.13** | **1623.88** | **193.36** | **1817.24** | **2733.25** | **2870.89** |
| 2011-12 | **4688.13** | **293** | **4981.13** | **1817.24** | **209.12** | **2026.36** | **2870.89** | **2954.77** |

2.68 उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग ने इस टैरिफ आदेश में अवमूल्यन वित्तीय वर्ष 2009–10, वित्तीय वर्ष 2010–11, वित्तीय वर्ष 2011–12, हेतु क्रमशः रू. 164.30 करोड़, रू. 193.36 करोड़ तथा रू. 209.12 करोड़ अनुमोदित किया है। याचिकाकर्ता को अवमूल्यन आंकड़ों का पुनर्मिलान (Reconcile) किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं, तथा इन्हें सत्यापन याचिकाओं के साथ दाखिल किये जाने के निर्देश जाते हैं ताकि सही अवमूल्यन को तद्नुसार अनुज्ञेय किया जा सके।

## अन्य

### मप्रविनिआ शुल्क

### याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

2.69 वर्ष के दौरान मप्रविनिआ शुल्क का भुगतान रू. 300/– प्रति मिलियन यूनिट (मि.यू) एमपीपीटीसीएल की पारेषण प्रणाली में प्राप्त की गई ऊर्जा की दर से देय है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान आहरित ऊर्जा की मात्रा 34282 मिलियन यूनिट अभिलिखित की गई है। ऊर्जा के विक्रय हेतु अभिवृद्धि दर 8% ली जा सकती है। दूसरी ओर पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आहरित ऊर्जा में कमी होनी चाहिए। अतएव, राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली में आहरित ऊर्जा की मात्रा में 5% की समग्र अभिवृद्धि मानते हुए तत्संबंधी भुगतान योग्य शुल्क निम्नानुसार दिया गया है :

**तालिका : 50** **(राशि लाख रूपये में)**

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पारेषण प्रणाली में आहरित ऊर्जा की मात्रा | 35996 मि.यू. | 37796 मि.यू. | 39686 मि.यू. |
| 2 | शुल्क दर | Rs. 300/- / मि.यू. | Rs. 300/- / मि.यू. | Rs. 300/- / मि.यू. |
| 3 | कुल भुगतान योग्य शुल्क (लाख रूपये में) | 107.99 | 113.39 | 119.06 |

### आयोग का विश्लेषण

2.70 आयोग एमपीपीटीसीएल के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करता है तथा इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित अनुसार शुल्क हेतु किये गये प्रावधान को अनुज्ञेय करता है।

## कर

### याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

2.71 याचिका के पैरा 10.2 में, एमपीपीटीसीएल ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 हेतु अतिरिक्त लाभ कर (Fringe Benefit Tax-FBT) हेतु क्रमशः रू. 35.96 लाख तथा रू. 44.64 लाख की राशि का भुगतान किया है। तद्नुसार, उनके द्वारा निम्न उल्लेखित कर प्रावधान प्रस्तावित किये गये हैं :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (i) | वित्तीय वर्ष 2009–10 | रू. 50.00 लाख | = | रू. 0.50 करोड़ |
| (ii) | वित्तीय वर्ष 2010–11 | रू. 75.00 लाख | = | रू. 0.75 करोड़ |
| (iii) | वित्तीय वर्ष 2011–12 | रू. 100.00 लाख | = | रू. 1.00 करोड़ |

### आयोग का विश्लेषण

2.72 आयोग के विनियम अतिरिक्त लाभ (FBT) कर को अन्तरण (Pass through) व्यय की भांति माने जाने का प्रावधान नहीं करते। अतएव, आयोग एमपीपीटीसीएल के इस संबंध में उनके प्रस्तुतिकरण को स्वीकार नहीं कर रहा है।

## गैर टैरिफ आय (Non Tafiff Income)

### याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

2.73 याचिका के पैरा 10.3 में, एमपीपीटीसीएल ने नियंत्रण अवधि हेतु गैर टैरिफ आय का आकलन निम्न दर्शाये गये अनुसार किया है :

| | | |
|---|---|---|
| (i) | वित्तीय वर्ष 2009–10 | रू. 3.00 करोड़ |
| (ii) | वित्तीय वर्ष 2010–11 | रू. 4.00 करोड़ |
| (iii) | वित्तीय वर्ष 2011–12 | रू. 5.00 करोड़ |

### आयोग का विश्लेषण

2.74 याचिकाकर्ता के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई वास्तविक गैर–टैरिफ आय तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु जारी सत्यापन आदेश का अवलोकन करते समय आयोग द्वारा यह पाया गया कि वास्तविक प्राप्त की गई गैर–टैरिफ आय वित्तीय वर्ष 2007–08 में रू. 6.84 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 में याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई सत्यापन याचिका के अनुसार रू. 9.71 करोड़ है। पूर्व के रूझान को दृष्टिगत रखते हुए आयोग याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई गैर–टैरिफ आय को स्वीकार नहीं कर रहा है। तथा वित्तीय वर्ष 2009–10, वित्तीय वर्ष 2010–11, वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु क्रमशः रू. 12.00 करोड़, रू. 14.00 करोड़ तथा रू. 16.00 करोड़ का प्रावधान गैर–टैरिफ आय हेतु कर रहा है।

## वार्षिक स्थाई लागत (Annual fixed Cost)

## याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

2.75 याचिकाकर्ता द्वारा नियंत्रण अवधि हेतु दायर की गई वार्षिक स्थाई लागत निम्नानुसार दर्शाई गई है:

**तालिका : 51** **(राशि करोड़ रूपये में)**

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses) | 213.49 | 245.34 | 279.18 |
| 2 | टर्मिनल प्रसुविधाएं (Terminal Benefits) | 352.78 | 379.25 | 403.53 |
| 3 | अवमूल्यन (Depreciation) | 171.52 | 218.56 | 254.67 |
| 4 | ब्याज एवं वित्त प्रभार (Interest & Finance Charges) | 135.43 | 160.19 | 189.53 |
| 5 | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital) | 29.01 | 33.67 | 38.08 |
| 6 | पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity) | 221.27 | 270.90 | 312.00 |
| 7 | मप्रविनिआ शुल्क तथा कर (MPERC Fees) | 1.58 | 1.88 | 2.19 |
| **8** | **सरल क्रमांक 1 से 7 का योग** | **1125.08** | **1309.79** | **1479.18** |
| 9 | घटायें : गैर–टैरिफ आय | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| **10** | **शुद्ध वार्षिक स्थाई लागत** | **1122.08** | **1305.79** | **1474.18** |

## आयोग का विश्लेषण

2.76 आयोग द्वारा किये गये उपरोक्त विश्लेषण तथा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत गणना की गई राशि के आधार पर, नियंत्रण अवधि हेतु वार्षिक स्थाई लागत को निम्नानुसार अनुमोदित किया जाता है :

**तालिका : 52 वार्षिक स्थाई लागत** **(राशि करोड़ रूपये में)**

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses) | 208.48 | 229.64 | 250.77 |
| 2 | टर्मिनल प्रसुविधाएं (Terminal Benefits) | 318.99 | 37.51 | 41.63 |
| 3 | अवमूल्यन (Depreciation) | 164.30 | 193.36 | 209.12 |
| 4 | ब्याज एवं वित्त प्रभार (Interest & Finance Charges) | 118.79 | 110.23 | 97.96 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital) | 27.05 | 23.04 | 24.56 |
| 6 | पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity) | 206.40 | 225.87 | 242.4 |
| 7 | मप्रविनिआ शुल्क तथा कर (MPERC Fees) | 1.08 | 1.13 | 1.19 |
| **8** | **सरल क्रमांक 1 से 7 का योग** | **1045.09** | **820.78** | **867.63** |
| 9 | घटायें : गैर–टैरिफ आय | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| **10** | **शुद्ध वार्षिक स्थाई लागत** | **1033.09** | **806.78** | **851.63** |

## दीर्घ अवधि क्रेताओं हेतु पारेषण प्रभार

2.77 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के दीर्घ अवधि हितग्राहियों को प्रभारों के भुगतान निम्न तालिका के अनुसार करने होंगे :

**तालिका : 53 दीर्घ अवधि हितग्राही हेतु पारेषण प्रभार**

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वार्षिक स्थाई लागत (करोड़ रूपये में) | **1033.09** | **806.78** | **851.63** |
| 2 | पारेषण प्रणाली क्षमता (मेगावाट) | 8091 | 8656 | 9241 |
| 3 | पारेषण प्रभार प्रति मेगावाट प्रति वर्ष (लाख रूपये में) | 12.77 | 9.32 | 9.22 |
| 4 | पारेषण प्रभार रू/मेगावाट/दिवस | 3498 | 2554 | 2525 |

### लघु अवधि खुली पहुंच हेतु दर (Rate For Short Term Access)

2.78 राज्यान्तरिक खुली पहुंच विनियमों में रूपये/मेगावाट/दिवस में लघु अवधि दरों का प्रावधान किया गया है, अर्थात् आवंटित क्षमता के आधार पर लघु अवधि दरें प्रति यूनिट आधार पर भी आवश्यक होती है, अर्थात्, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के विनियम की अर्हता के अनुसार रूपये प्रति मेगावाट आवर में ऐसे प्रकरणों हेतु राज्यान्तरिक प्रणाली में जहां लघु अवधि खुली पहुंच अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की निरन्तरता में अनुज्ञेय की जाती है। इन दरों की गणना निम्न तालिका में की गई है :

**तालिका : 54 लघु अवधि खुली पहुंच हेतु पारेषण प्रभार**

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पारेषण प्रभार रूपये/मेगावाट | 3498 | 2554 | 2525 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | प्रति दिवस में | | | |
| 2 | लघु अवधि दर (25%) रूपये मेगावाट प्रति दिवस | 874.55 | 638.38 | 631.21 |
| ए. | लघु अवधि दर एकल खंड में 6 घंटे तक | 218.64 | 159.60 | 157.80 |
| बी. | लघु अवधि दर, एकल खंड में, 6 घंटे से अधिक तथा 12 घंटे तक | 437.27 | 319.19 | 315.61 |
| सी | 12 घंटे से अधिक, तथा 24 घंटे तक | 874.55 | 638.38 | 631.21 |
| 3 | वर्ष के दौरान पारेषित किये जाने वाले प्रत्याशित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में) | 35996 | 37796 | 39686 |
| 4 | कुल वार्षिक स्थाई लागत (करोड़ रूपये में) | **1033.09** | **806.78** | **851.63** |
| 5 | लघु अवधि खुली पहुंच दर रूपये/मेगावाट आवर में (4–3) x 0.25 | 71.75 | 53.36 | 53.65 |

## अपारंपरिक विद्युत उत्पादकों द्वारा किये जाने वाला भुगतान

### याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण

2.79 आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 148/2005 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु पारेषण टैरिफ के अवधारण विषयक अपने आदेश दिनांक 13 मार्च, 2006 में अपारम्परिक विद्युत उत्पादकों द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रभार निर्धारित किये गये हैं। इन प्रभारों तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादक से वसूली का अनुपात तथा शासन से इसकी प्रतिपूर्ति (reimbursement) में आदेश के पैरा 4.62 तथा 4.63 में दर्शाया गया है, जिसकी एक प्रति इस आदेश के **परिशिष्ट–7** में संलग्न की गई है।

2.80 यहां पर उल्लेख किया जाता है कि जब उत्पादक इकाई 132 केवी अथवा इससे अधिक वोल्टेज स्तरों पर संयोजित हो तो यह भुगतान केवल विद्युत उत्पादक तथा शासन द्वारा किया जाना चाहिए। व्यावहारिक रूप से इस वोल्टेज श्रेणी के अन्तर्गत किसी भी अपारम्परिक विद्युत उत्पादक द्वारा पिछली नियंत्रण अवधि में खुली पहुंच का लाभ नहीं उठाया गया है। इस प्रकार के विद्युत उत्पादकों की अब इस क्षेत्र में आने की संभावना है। अतः नियंत्रण अवधि, अर्थात् 2009–10 से 2011–12 तक इन दरों की आवश्यकता होगी।

2.81 आयोग द्वारा उसके आदेश दिनांक 13 मार्च, 2006 में उन प्रभारों का अवधारण किया गया, जिनमें एक 10 मेगावाट विद्युत उत्पादक हेतु आनुपातिक वार्षिक पारेषण लागत तथा 22.5% क्षमता उपयोगिता कारक (Capacity Utilization Factor) से संबद्ध पारेषण यूनिटों की गणना की गई है। चूंकि विद्युत अधिनियम, 2003 में ऊर्जा के अक्षय स्त्रोतों से विद्युत के सह–उत्पादन तथा उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने का प्रावधान किया गया है, याचिकाकर्ता द्वारा विचारार्थ निवेदन किया गया है कि प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार का निर्धारण नियंत्रण अवधि के प्रति वर्ष पारेषण प्रणाली द्वारा संव्यवहार की जाने वाली आकलित वास्तविक ऊर्जा के आधार पर किया जाए। तद्नुसार उनके द्वारा निम्न तालिका में दर्शाए अनुसार दरें प्रस्तावित की गई हैं :

**तालिका : 55**

| सरल क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2009–10 | वित्तीय वर्ष 2010–11 | वित्तीय वर्ष 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वार्षिक स्थाई लागत (करोड़ रूपये में) | 1122.08 | 1305.79 | 1474.18 |
| 2 | वर्ष के दौरान पारेषित किये जाने वाले आकलित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में) | 35996 | 37796 | 39686 |
| 3 | पारेषण लागत पैसे प्रति यूनिट (निकटतम पैसे पूर्णांक कर) | 31 | 35 | 37 |
| 4 | विद्युत उत्पादक द्वारा भुगतान किये जाने वाले पारेषण प्रभार (पैसे/यूनिट) (निकटतम पैसे पूर्णांक कर) | 10 | 12 | 12 |
| 5 | राज्य शासन से प्रतिपूर्ति (पैसे /यूनिट) | 21 | 23 | 25 |

2.82 क्रेता की इस श्रेणी से वसूल किये गये प्रभार दीर्घ अवधि खुली पहुंच उपभोक्ताओं को ''सत्यापन याचिका'' के माध्यम से दीर्घ अवधि खुली पहुंच क्रेताओं को उक्त अनुपात में, जैसा कि आयोग द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जाए, अन्तरित कर दिये जाएंगे।

## आयोग का विश्लेषण

2.83 आयोग द्वारा याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण पर यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं ही यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादक ने पिछली नियंत्रण अवधि के दौरान 132 केवी तथा इससे अधिक वोल्टेज स्तरों पर खुली पहुंच का लाभ नहीं उठाया है। याचिकाकर्ता भविष्य में ऐसे अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादकों के इस क्षेत्र में आने की अपेक्षा कर रहा है।

2.84 उपरोक्त उल्लेखित पैरा को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग वर्तमान परिस्थिति में 132 केवी तथा इससे अधिक वोल्टेज स्तरों पर संयोजित अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादकों द्वारा भुगतान योग्य पारेषण प्रभारों के अवधारण की आवश्यकता नहीं समझता। याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गये इस मुद्दे पर आयोग अधिसूचित सुसंबद्ध विनियमों तथा शासन द्वारा इस संबंध में अधिसूचित नीति के परिप्रेक्ष्य में जब भी ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी, अपना निर्णय लेगा।

## अध्याय–3

### आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 19 मार्च, 2008 के अंतर्गत द्वारा प्रसारित किये गये दिशा–निर्देशों के परिपालन की अद्यतन स्थिति

याचिकाकर्ता द्वारा टैरिफ आदेश दिनांक 19 मार्च, 2008 के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के परिपालन की वस्तुस्थिति प्रस्तुत की गई है।

### (1) आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश

एमपीपीटीसीएल को भारत के सर्वोत्तम राज्यों के स्तर तक हानियां कम लाये जाने के प्रयास करने चाहिए।

### एमपीपीटीसीएल का प्रतिपालन प्रतिवेदन

एमपीपीटीसीएल ने माह जुलाई, 2002 में इसके प्रारंभिक काल से ही अपनी निर्माण योजना (Capital Plan) का निष्पादन इस प्रकार किया है, जिसके अनुसार न केवल पारेषण प्रणाली द्वारा संव्यवहारित ऊर्जा में वृद्धि के विरूद्ध निरंतर बढ़ने वाली हानियों में नियंत्रण किया गया है। वरन् पिछले वर्षों में निरंतर पारेषण हानियों में उल्लेखनीय कमी भी परिलक्षित हुई है। ये हानियां वर्ष 2002–03 के 7.93% स्तर से घट कर वर्ष 2007–08 में माननीय आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 4.90% के विरूद्ध 4.09% के न्यूनतम स्तर पर आ गई हैं।

वर्ष 2008–09 में भी 4.90% के लक्ष्य के विरूद्ध 4.08% (प्रावधिक) के हानि स्तर की प्राप्ति हुई है। आगामी वर्षों में एमपीपीटीसीएल माननीय आयोग की आकांक्षाओं के अनुसार हानि स्तर की प्राप्ति हेतु अपने सर्वोत्तम प्रयास जारी रखेगा।

### (2) आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश

अनुज्ञप्तिधारी आयोग को प्रत्येक छः माह के पश्चात् (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की दिनांक 20 अक्टूबर तथा 20 अप्रैल तक) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित प्रत्येक कार्य के संबंध में भौतिक तथा वित्तीय प्रगति बाबत् सूचित करेगा।

### एमपीपीटीसीएल का प्रतिपालन प्रतिवेदन

वर्ष 2007–08 हेतु भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का छमाही प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 04–01/सीआरए प्रकोष्ठ/4124 दिनांक 28.4.08 द्वारा पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्ष 2008–09 हेतु छमाही प्रतिवेदन प्रस्तुति में है।

**(3) आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश**

एमपीपीटीसीएल द्वारा सुनिश्चित किया जाए, कि वार्षिक लागत में वृद्धि की क्षतिपूर्ति कर्मचारियों की बढ़ाई गई उत्पादकता द्वारा की जाए।

**एमपीपीटीसीएल का प्रतिपालन प्रतिवेदन**

(i) वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु पारेषण हानि 4.9% के लक्ष्य के विरूद्ध 4.09% है, जिसके फलस्वरूप लगभग 285 मिलियन यूनिटों की बचत हुई है। इस प्रकार विद्युत प्रदाय की दर को रू. 3.69/यूनिट मानते हुए लगभग रू. 100 करोड़ की बचत की गई है।

(ii) वर्ष 2007–08 हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता (Transmission System Availability) 97% लक्ष्य के विरूद्ध 99.02% रही।

उपरोक्त उपलब्धियों की प्राप्ति कर्मचारियों की बढ़ी हुई उत्पादकता के कारण संभव हुई है। वर्ष 2008–09 हेतु भी लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं।

**(4) आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश**

आयोग निर्देश देता है कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उसके द्वारा प्रतिक्रिय ऊर्जा प्रभारों (Reactive Energy Charges) के विरूद्ध संग्रहित राशि का लेखा तथा प्रतिक्रिया ऊर्जा प्रबंधन कार्यों हेतु उपयोग की गई राशि के लेखे, इस आदेश की तिथि से एक माह के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वे अभिलेख भी प्रस्तुत किये जाएं, जो दीर्घ–अवधि देयकों में लघु अवधि प्रयोक्ताओं से अर्जित राजस्व का समायोजन दर्शाते हैं।

**एमपीपीटीसीएल का प्रतिपालन प्रतिवेदन**

प्रतिक्रिय प्रभारों की प्राप्ति/वसूली मय वित्तीय वर्ष 07 हेतु प्रतिक्रिय प्रभारों की बिलिंग संबंधी विवरण जो कि दीर्घ अवधि प्रयोजनाओं के देयकों में लघु अवधि प्रयोक्ताओं से अर्जित राजस्व का समायोजन दर्शाते हैं, पूर्व में पत्र क्रं. 04–01/सीआरए प्रकोष्ठ/एफ/3904 दिनांक 21.4.08 द्वारा प्रस्तुत किये जा चुके हैं। तत्पश्चात्, माननीय आयोग द्वारा वांछित स्पष्टीकरण पत्र क्रं. 04–01/सीआरए प्रकोष्ठ/एफ–121/5467 दिनांक 5.6.08 द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। इस अभ्युक्ति का प्रतिपालन अन्तिम रूप से किया जा चुका है।

**(5) आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश**

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक दृढ़ आंकड़ा आधार संरचित किये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अर्द्धवार्षिकी प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रतिपालन आयोग को नियमित रूप से प्रस्तुत किये जाएं।

**एमपीपीटीसीएल का प्रतिपालन प्रतिवेदन**

उद्यम संसाधन नियोजन (Enterprise Resource Planning-ERP) प्रणाली हेतु तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण कर लिया गया है। चूंकि डीएफआईडी, द्वारा इस योजना हेतु निधि उपलब्ध न कराये जाने की पुष्टि कर दी गई है, अतः इसकी पीएफसी से वित्तीय संबद्धता हेतु प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। आगामी अर्द्धवार्षिकी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

**उ(6) आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश**

आयोग निर्देश देता है कि जैसे ही राज्य शासन द्वारा अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्र अधिसूचित किया जाता है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसम्पत्ति पंजियों को अन्तिम किया जाए।

**एमपीपीटीसीएल का प्रतिपालन प्रतिवेदन**

राज्य शासन ने अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्र (Final Opening Balance Sheet) (दिनांक 1.6.05 की स्थिति में) दिनांक 12.6.08 को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत की गई टीप में, कतिपय सहायक विवरण मप्रराविमं की लेखा शाखा द्वारा एमपीपीटीसीएल को प्रदान किये गये हैं। इनमें कोडवार प्रारंभिक सकल खण्ड (Opening Gross Block), की संक्षेपिका दिनांक 1.6.05 की स्थिति में शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियां (NFA) सम्मिलित हैं। इनमें दर्शाई गई परिसम्पत्तियां उचित रूप से मैदानी परिसम्पत्ति पंजी की संक्षेपिका के साथ मेल खाती हैं। तथापि कोड वार पुनर्मिलान (Reconciliation)/मिलान (matching) का कार्य प्रगति पर है। परिसम्पत्तियों का प्रावधिक आंकड़ा आधार सत्यापन याचिका के साथ प्रस्तुत किया जा चुका है, तथा अवमूल्यन इसी पर आधारित है।

**(7) आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश**

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उचित कार्यवाही कर, जैसे कि विद्यमान पदाधिकारियों को कार्यों में संलग्न कर, रिक्त पद भरे जाएं।

**एमपीपीटीसीएल का प्रतिपालन प्रतिवेदन**

एमपीपीटीसील के संचालक मण्डल द्वारा विद्यमान स्वीकृत पदों के 30% तक न्यूनतम अत्यावश्यक रिक्त पदों को चरणबद्ध विधि द्वारा भरे जाने का अनुमोदन किया जा चुका है। मप्र शासन के अनुमोदन पश्चात्, एमपीपीटीसीएल द्वारा स्नातक अभियंताओं के तीन समूहों (Batch), प्रत्येक वर्ष 2006, 2007 तथा 2008 में कुल 79 अभियंताओं (जिनमें से वर्तमान में 69 अभियंता कार्यरत हैं) की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्ष 2009 के समूह हेतु भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत 54 (पूर्व वर्ष के रिक्त पदों को सम्मिलित कर) अभियंताओं की भर्ती की जाना है। 80 परीक्षण परिचारक (Testing Attendent) श्रेणी 2 (आईटीआई–धारी) की भर्ती वर्ष 2008–09 में की गई (जिनमें से 65 कर्मचारी कार्यरत् हैं)। 48 विभागीय कर्मचारियों (डिप्लोमाधारी) को मप्रराविमं द्वारा आज दिनांक तक कनिष्ठ यंत्री के पद पर पुनर्नियोजित किया जा चुका है।

# अध्याय –4

## एमपीपीटीसीएल की याचिका पर आपत्तियां तथा टिप्पणियां

आयोग द्वारा एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 को जारी की गई, जिसमें समस्त इच्छुक पक्षकारों को दिनांक 10 नवम्बर 2009 को जन सुनवाई में उपस्थित होने बाबत् आमंत्रित किया गया। सार्वजनिक सूचना को दैनिक भास्कर, भोपाल, नई दुनिया, इन्दौर, नवभारत, जबलपुर तथा हिन्दुस्तान टाईम्स ( मध्य प्रदेश के समस्त संस्करण) में प्रकाशित किया गया।

आयोग द्वारा एमपीपीटीसीएल की टैरिफ की याचिका पर जन सुनवाई दिनांक 10 नवम्बर, 2009 को आयोजित की गई।

मप्रविमं पेंशनर्स एसोसियेशन से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों/आपत्तियों को याचिकाकर्ता की ओर इसके उत्तर हेतु प्रेषित किया गया था। मप्रविमं पेंशनर्स एसोसियेशन द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया की संक्षेपिका निम्नानुसार दी गई है :

### (1) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां

राज्य शासन ने मप्र विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 (MP Electricity Reforms First Transfer Rules, 2003) अपनी अधिसूचना दिनांक 1.10.03 तथा 13.6.05 द्वारा गठित किये गये हैं। इसकी अधिसूचनाएं विद्यमान पेंशनरों हेतु वित्तीय व्यवस्था तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं से संबंधित देय भुगतानों का प्रावधान करती हैं।

### याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर

कोई टिप्पणी नहीं क्योंकि यह अभिलेखों से संबधित मामला है।

### (2) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां

अंतरण के समय विद्यमान कर्मचारियों हेतु भी ऐसा ही उपबन्ध विद्यमान है।

### याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर

कोई टिप्पणी नहीं क्योंकि यह अभिलेखों से संबंधित मामला है।

**(3) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

राज्य शासन, मप्र राज्य विद्युत मंडल तथा पांच कम्पनियों ने मिलकर एक न्यास विलेख (Trust Deed) का निष्पादन किया गया है, जिसे मप्रराविमं टर्मिनल प्रसुविधा न्यास विलेख (MPSEB Terminal Benefit Trust Deed) कहा गया है। इसे दिनांक 25.2.06 को पंजीकृत कराया गया है। न्यास की कंडिका 11 (1) के अनुसार मप्रविमं टर्मिनल प्रसुविधा न्यास ( MPSEB Terminal Benefit Trust ) नामक न्यास का गठन किया गया है। न्यास के पदेन तथा स्थाई सदस्यों के नामों का उल्लेख भी किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक, नयागांव, जबलपुर शाखा में मप्रराविमं टर्मिनल बेनिफिट्स फण्ड के नाम तथा शैली में खाता क्रमांक 00000030037526244 खोला गया है। विलेख की कंडिका 5 (ए, डी तथा ई) के अनुसार न्यास में पदेन तथा स्थाई सदस्य नियुक्त किये गये हैं।

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

कोई टिप्पणी नहीं क्योंकि यह अभिलेखों से संबंधित मामला है।

**(4) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

जैसा कि विलेख (Deed) की कंडिका 7 में प्रावधानित है, मप्रराविमं टर्मिनल बेनिफिट्स फण्ड नियम, 2006 मप्र शासन ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 6581/13/2006 दिनांक 17.10.2006 के अन्तर्गत तैयार तथा अनुमोदित किये गये हैं।

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

कोई टिप्पणी नहीं क्योंकि यह अभिलेखों से संबंधित मामला है।

**(5) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

उपादान (ग्रेच्युटी) (नियम 21) अंशदान के संबंध में इसी प्रकार का उपबन्ध विद्यमान है।

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

कोई टिप्पणी नहीं क्योंकि यह अभिलेखों से संबंधित मामला है।

**(6) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

मप्रराविमं टर्मिनल प्रसुविधाए कोष नियम, 2006 के उपनियम 22 (i) में प्रावधानित है कि भविष्य में नियोजक के मासिक अंशदान दिनांक 31 मार्च, 2003 की स्थिति में जीवनांकिक मूल्यांकन पर आधारित होंगे .....

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

कोई टिप्पणी नहीं क्योंकि यह अभिलेखों से संबंधित मामला है।

**(7) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

डीएफआईडी ने मंडल के पेंशन दायित्व के संबंध में जीवनांकिक विश्लेषण (acurial analysis) पूर्व में किया जा चुका है, जिसका आकलन लगभग रू. 3910 करोड़ किया गया है। स्थापना व्यय के लगभग 27% अंशदान की अनुशंसा विद्यमान कर्मचारियों की पेंशन निधि हेतु की गई है।

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

यह राशि वर्ष 2003 में किये गये जीवनांकिक मूल्यांकन (Acturial Valuation) के अनुसार है। रू. 3910 की राशि का आकलन पूर्व के अप्रावधानित दायित्वों (unfunded liabilities) हेतु किया गया था। जबकि वेतन राशि का लगभग 27% अंशदान विद्यमान कर्मचारियों की निधि का आकलन टर्मिनल प्रसुविधाओं के दायित्वों हेतु किया गया था।

**(8) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

ट्रांसको ने अपनी याचिका में टर्मिनल प्रसुविधाओं के भुगतान हेतु वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 में क्रमशः रू. 352.78 करोड़, रू. 379.25 करोड़ तथा रू. 403.53 करोड़ की राशि का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया है।

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

प्रस्तावित राशि पेंशनरों के चालू पेंशन/उपादान हेतु तथा विद्यमान कर्मचारियों हेतु प्रावधानित है। निर्मित निधि (Built up fund) में पेंशनरों हेतु प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है।

**(9) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

माननीय आयोग अपनी ओर से सम्पूर्ण रूप में टर्मिनल प्रसुविधा निधि के विषय में संव्यवहार नहीं कर रहा है। परंतु उसके द्वारा इसे आंशिक रूप से संव्यवहारित किया गया है, जैसा कि उसके द्वारा समय–समय पर पारित विभिन्न आदेशों से स्पष्ट है।

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से कोई टिप्पणी नहीं है।

**(10) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

दिनांक 19.3.08 को पारित वित्तीय वर्ष 2007 से 09 के पारेषण आदेश में कहा गया है कि 'आयोग द्वारा यह भी संज्ञान में लिया गया है कि टर्मिनल सुविधा न्यास का गठन किया जा चुका है। परन्तु इसे आज दिनांक तक प्रचालित नहीं किया गया है। आयोग निर्देश देता है कि न्यास को शीघ्र अतिशीघ्र प्रचालित कराया जाए।'

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

राज्य शासन ने ''मप्रराविमं टर्मिनल प्रसुविधा निधि कोष नियम'' आदेश क्रं. 6581/13/2006 दिनांक 17.10.06 द्वारा पारित किये हैं। न्यास विलेख (Trust Deed) दिनांक 25.2.06 को निष्पादित किया गया। न्यास के पदेन तथा स्थाई सदस्यों के नाम भी निर्धारित किये जा चुके हैं। निधि में वर्तमान में लगभग रू. 5.93 करोड़ की प्रारंभिक राशि विद्यमान है। तथापि, मप्रराविमं के पुनर्गठन द्वारा गठित की गई कम्पनियों द्वारा वित्तीय संकट के कारण और अधिक अंशदान नहीं किया गया।

**(11) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

वर्ष 2008–09 के विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) तथा खुदरा टैरिफ अवधारण आदेश में यह कहा गया है कि ''वर्तमान में, टर्मिनल प्रसुविधाओं से संबंधित मामले एमपीपीटीसीएल द्वारा देखे जा रहे हैं, जैसा कि मप्र शासन के आदेश दिनांक 31.5.05 में प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार पेंशन न्यास के गठन के अभाव में अनुज्ञप्तिधारी की टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु इस आदेश में किसी पृथक प्रावधान के बारे में विचार नहीं किया गया है।''

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

एमपीपीटीसीएल हेतु बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 13.3.06 में माननीय आयोग ने केवल एमपीपीटीसीएल की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में समस्त कम्पनियों के विद्यमान पेंशनरों के चालू टर्मिनल प्रसुविधा दायित्व को ही अनुज्ञेय किया है।

**(12) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

वर्ष 2009–10 के विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) तथा खुदरा टैरिफ अवधारण आदेश में यह कहा गया है कि ''वर्तमान में, टर्मिनल प्रसुविधाओं से संबंधित मामले एमपीपीटीसीएल द्वारा देखे जा रहे हैं, जैसा कि मप्र शासन के आदेश दिनांक 31.5.05 में प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार पेंशन न्यास के गठन के अभाव में अनुज्ञप्तिधारी की टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु इस आदेश में किसी पृथक प्रावधान के बारे में विचार नहीं किया गया है।''

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

एमपीपीटीसीएल को पेंशनरों तथा विद्यमान कर्मचारियों हेतु प्रसुविधाओं के भावी भुगतान हेतु बनाये जाने वाले कोष में अंशदान किये जाने बाबत् अनुज्ञेय नहीं किया गया है। अतएव, आयोग द्वारा टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में संभवतः पृथक से प्रावधान अनुज्ञेय नहीं किया जा सका है।

**(13) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

यह जबकि दिनांक 19.3.08 का पूर्व आदेश टर्मिनल प्रसुविधा न्यास के ''प्रचालन किये जाने (Operationalizatoin)'' का उल्लेख करता है, अतएव यह एक निर्विवाद स्वीकृति है कि पेंशन कोष का गठन किया जा चुका है, परन्तु आदेश दिनांक 29.3.08 में पेंशन निधि का गठन किये जाने को स्वीकार नहीं करता है। दिनांक 29.7.09 के तृतीय आदेश में शब्द ''क्रियाशील (Functional)'' का उपयोग किया गया है। माननीय आयोग शब्दों ''Operationialization'' तथा ''Functional'' की व्याख्या करने का कष्ट करें।

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

इस संबंध में स्थिति पूर्व में ही पैरा 10.1 में स्पष्ट की जा चुकी है।

## (14) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां

मप्र शासन के आदेश दिनांक 31.5.05 पर पृथक से विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसके संबंध में एक समग्र दृष्टिकोण पर विचार लिये जाने की दृष्टि से इसे अन्तरण योजना, मप्रराविमं टर्मिनल प्रसुविधा न्यास विलेख (MPSEB Terminal Benefits Trust Deed) तथा मप्रराविमं टर्मिनल प्रसुविधा निधि नियम, 2006 के साथ समग्र रूप से विचार किया जाना होगा। जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई हैं, तथा इस प्रयोजन हेतु निधि में कुछ धनराशि इस प्रयोजन हेतु खोले गये पृथक बैंक खाते में उपलब्ध है। अतएव, हमारा मत है कि टर्मिनल प्रसुविधा निधि प्रचालनीय/क्रियाशील है।

### याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर

जैसा कि पूर्व में उल्लेखित पैरा 10.1 में उल्लेख किया गया है कि न्यास विलेख (Trust Deed) का निष्पादन किया जा चुका है तथा राज्य शासन द्वारा मप्रराविमं टर्मिनल प्रसुविधा नियमों का अनुमोदन किया जा चुका है। एक चालू खाता (Current Account) क्रं. 3003752644 भारतीय स्टेट बैंक, नयागांव, जबलपुर शाखा में ''एमपीएसईबी टर्मिनल बैनिफिट फण्ड'' के नाम से खोला जा चुका है। टर्मिनल प्रसुविधा कोष में लगभग निम्न धनराशि उपलब्ध हैं :

(राशि करोड़ रूपये में)

| | | |
|---|---|---|
| i. | इण्ड्स इण्ड बैंक में सावधि जमा (FD) | 5.887 |
| ii. | भारतीय स्टेट बैंक नयागांव जबलपुर में सावधि जमा (FD) | 0.045 |
| iii. | भारतीय स्टेट बैंक के चालू खाते में | 0.001 |
| | **योग** | **5.933** |

## (15) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां

जैसा कि संपूर्ण राजस्व आवश्यकता के पैरा 6.6 में किये गये दावे में ट्रांसको द्वारा इंगित किया गया है कि टर्मिनल प्रसुविधा निधि प्रचालन में है। ट्रांसको पर चालू पेंशन, उपादान, आदि के भुगतान संबंधी व्यय के साथ–साथ टर्मिनल प्रसुविधा कोष हेतु अंशदान हेतु किये जाने वाले प्रावधानों का दायित्व भी है।

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

दिनांक 12 जून, 2008 को अधिसूचित अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्र के फुटनोट (के) के उपबंधों के अनुसार एमपीपीटीसीएल ने वर्ष 2009–11 से 2011–12 तक के लिये समस्त कम्पनियों के पेंशनरों को प्रदान की जाने वाली चालू टर्मिनल प्रसुविधाओं का भी दावा किया है।

इसके अतिरिक्त, लेखा मानक–15 (Account Standards-15) के अनुसार, केवल ट्रांसको के विद्यमान कर्मचारियों की टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु प्रावधानित राशि (Provisioning) का भी दावा वर्ष 2003 में संचालित जीवनांकिक मूल्यांकन में अनुशंसा के आधार पर किया गया है। वर्तमान में विद्यमान पेंशनरों हेतु कोष के गठन के लिये न्यास में अंशदान हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस हेतु उचित अनुरोध नवीन जीवनांकिक मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर किया जाएगा।

**(16) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु निबंधन तथा शर्ते) विनियम 2009 के विनियमों 27.5 तथा 27.6 में अन्य विषयों के अलावा यह उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन द्वारा टर्मिनल प्रसुविधा की न्यास निधि हेतु इस अप्रावधानित दायित्व (unfunded liability) की वित्तीय व्यवस्था तथा प्रचालनीय किये जाने हेतु एक योजना, जैसा कि अन्तरण योजना नियम 2003 (Transfer Scheme Rules 2003) के नियम 10 तथा 11 में प्रावधानित है, की घोषणा होना अभी भी शेष है। यहां पुनः दोहराया जाता है कि राज्य शासन द्वारा अन्तरण योजना नियमों के नियम 7 (10 एवं 11) के अनुसार टर्मिनल प्रसुविधा निधि का गठन कर दिया गया है। उनके द्वारा अब इससे और अधिक कुछ भी किया जाना बाकी नहीं है।

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

अंतरण योजना नियम 7 (10 तथा 11) जैसा कि इन्हें दिनांक 13 जून, 2005 को संशोधित किया गया है, में वित्तीय प्रबंधन व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है।

**(17) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

राजपत्रित की गई अन्तरण योजना के अंतर्गत पेंशनरों को प्रदत्त उनके कानूनी अधिकार नकार दिये जाने का दायित्व माननीय आयोग द्वारा स्वयं ले लिया गया है। यह विद्यमान हजारों पेंशनरों को उनके भरण–पोषण से वंचित करने जैसा है। यह कथन बिल्कुल गलत तथा आधारहीन है कि वास्तविक पेंशन भुगतान को वहन किया जाना असहनीय हो गया है। क्योंकि यह किसी के मत का प्रश्न नहीं है, परन्तु राज्य शासन की धारा 131 के अंतर्गत वैधानिक कृत्य है, जिसे कि लागू किया जाना होगा। विधि के विरूद्ध कोई भी मत टिक नहीं सकता है। अन्तरण योजना नियम, 2003 जैसा कि इसे संशोधित किया गया है, में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विद्यमान पेंशनरों को अंतरण तिथि की स्थिति में प्रत्येक वर्ष के दौरान भुगतान योग्य पेंशन की राशि तथा अन्य टर्मिनल

प्रसुविधाओं के साथ–साथ भविष्य में पेंशन तथा अन्य टर्मिनल प्रसुविधाओं के भुगतान हेतु निधि में अंशदान हेतु धनराशि को ट्रांसको के राजस्व को भारित किया जाएगा, जब तक टर्मिनल प्रसुविधा न्यास हेतु वांछित निधि का गठन नहीं हो जाता।

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

माननीय आयोग सदैव एमपीपीटीसीएल के युक्तियुक्त व्ययों पर विचार करने तथा अनुज्ञेय किये जाने हेतु संवेदनशील रहा है। बहुवर्षीय टैरिफ वर्ष 2009–10 से 2011–12 हेतु पारेषण टैरिफ विनियमों के संदर्भ में विद्यमान पेंशनधारियों के बारे में पेंशनर्स एसोसिएशन की चिन्ता बिल्कुल स्वाभाविक है। एमपीपीटीसीएल ने इस संबंध में एक आवेदन पेंशनधारियों हेतु बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि के समस्त तीन वर्षों हेतु अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्र दिनांक 12 जून 2008 के फुटनोट (के) के आशय के परिप्रेक्ष्य में दिशा–निर्देशों की समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया है।

**(18) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

यह विद्युत संबंधी एपीलेट ट्रिब्यूनल के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 2008 ईएलआर (एपीटीईएल) 0847 में पारित निर्णय के भी विरूद्ध है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वास्तविक तथा उचित रूप से किये गये व्यय को अनुज्ञेय किया जाएगा। यदि एक बार भी कर्मचारियों के वेतनों तथा मंहगाई भत्तों पर वास्तविक व्ययों को अनुज्ञेय कर दिया जाता है। अतः उन्हीं कर्मचारियों पर किये गये वास्तविक व्यय को अनुज्ञेय न किये जाने का कोई कारण नहीं बनता।

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

माननीय आयोग को विनियम (आरजी–28(I)), वर्ष 2009 की धारा 46.3 के अनुसार एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने की समस्त शक्तियां प्राप्त हैं, जो विनियमों के किसी भी उपबन्ध से भिन्न हैं। याचिकाकर्ता आश्वस्त है कि माननीय आयोग इस संबंध में एक सहानुभूतिपूर्ण तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएगा। याचिकाकर्ता पुनः माननीय आयोग को याचिका में किए गये अनुरोधानुसार टर्मिनल प्रसुविधा दावे अनुज्ञेय किये जाने का अनुरोध करता है।

**(19) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

अनुरोध किया जाता है कि माननीय आयोग ट्रांसको द्वारा उनकी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में अनुरोध किये गये अनुसार राशि उपलब्ध कराने हेतु अनुग्रहित करें। यह भी अनुरोध किया जाता है कि माननीय आयोग अन्तरण योजना नियम, 2003 के अंतर्गत टर्मिनल प्रसुविधा निधि नियम 2006 में किये गये प्रावधान के अनुसार टर्मिनल प्रसुविधा निधि हेतु अंशदान उपलब्ध कराने हेतु अनुग्रहित करें।

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

एमपीपीटीसीएल मप्र विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रति एमपीपीटीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 12 हेतु उसकी बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में की गई प्रार्थना का समर्थन किये जाने हेतु अपना आभार व्यक्त करता है। तथा माननीय आयोग से उस पर विचार करने का निवेदन करता है।

**(20) मप्रविमं पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां/आपत्तियां**

हम भी अपना प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई की प्रार्थना भी करते हैं।

**याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर**

कोई टिप्पणी नहीं है।

**आयोग का दृष्टिकोण**

आयोग द्वारा उपरोक्त विषयों पर अपना सोचा समझा गया दृष्टिकोण आयोग द्वारा दिनांक 8 मई 2009 को अधिसूचित मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2009 (आरजी–28(1), वर्ष 2009) के अन्तर्गत सुसंबद्ध उपबन्धों के अनुसार लिया गया है।

**<u>विशेष टिप्पणी:</u>**

इस बहुवर्षीय पारेषण टैरिफ आदेश के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।